

बैंकिंग

BOLT

विशेष संस्करण
तथ्यात्मक बैंकिंग सामान्य ज्ञान



[CLICK HERE](#) TO PREPARE FOR IBPS , SBI, & RBI EXAMS IN ONE PLACE



Bolt is a series of GK Summary ebooks by
Oliveboard for quick revision

विषयसूची

बैंकिंग इतिहास और बैंकिंग में सभी प्रथम	4
आरबीआई की संरचना और कार्य	4
भारत में मुद्रा संचलन और प्रबंधन - ऋण दरें	5
मौद्रिक नीति	8
भारत में बैंक खातों के प्रकार	10
वित्तीय समावेशन	12
धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण दर (MCLR)	15
अनर्जक आस्तियां/ परिसंपत्तियां (NPA)	15
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act)	16
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC)	16
अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के खाते	17
बैंकिंग क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले कोड	18
भारत में स्थानांतरण प्रणाली	19
भारत में एटीएम	20
कार्ड के प्रकार	21
बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम	22
बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग लोकपाल की भूमिका	23
बैंकिंग संबंधी योजनाएं	24
धन के प्रकार और धन की आपूर्ति के उपाय	27
भारत में वित्तीय बाजार	29
भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार	32
मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड (IIBs)	33
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)	37
बैंकों की रेटिंग	38
भारत में विदेशी निवेश	41
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) और व्यापारिक उधार	42
रुपया डोमिनटेड बॉन्ड (Rupee Denominated Bonds)	43
धन-प्रेषण / विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) और रुपया आहरण व्यवस्था (RDA)	43

उदारीकृत प्रेषण योजना	44
भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना.....	44
त्वरित सुधारात्मक क्रिया (PCA)	45
राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (NIBM).....	45
दृष्टिबंधक	45
गिरवी.....	46
बंधक.....	46
भारतीय डिपॉजिटरी रसीद (IDRs)	47
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (PSLC).....	47
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI).....	48
राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन सभा (NACH)	48
आधार मैपर की क्वेरी सेवा (QSAM).....	48
मोबाइल मनी पहचानकर्ता (MMID).....	49
एशियाई समाशोधन संघ (ACU)	49
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा (USSD).....	49
भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007	50
भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)	50
तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)	51
एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI).....	51
भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी (BHIM)	52

बैंकिंग इतिहास और बैंकिंग में सभी प्रथम

बैंक एक प्रकार का वित्तीय संगठन है, जो जमा स्वीकार करता है, जिसे मांग होने पर वापस लिया/निकाला जा सकता है और जरूरतमंद व्यक्तियों और व्यावसायिक घरानों को धन उधार देता है।

बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है जिसकी स्थापना सन 1770 में हुई थी और इसे सन 1829-32 में बंद कर दिया गया था और सन 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया लेकिन 1791 में विफल हो गया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक, जो अभी भी अस्तित्व में है। यह जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में उभरा। सन 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया।

बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना एक प्रांतीय सरकार द्वारा की गई थी और सन 1921 में इनका विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई, जो भारत की आजादी के बाद सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सन 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, उन बड़े बैंकों में एक 'बैंक ऑफ इंडिया' था। सन 1980 में, 6 और निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया।

सन 1991 में नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का पहला ब्लू प्रिंट दिया।

आरबीआई की संरचना और कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।

रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय आरंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन सन 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित हो गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है, जहां गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां तैयार की जाती हैं।

हालांकि रिजर्व बैंक मूल रूप से निजी स्वामित्व में था, पर 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद अब यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

रिजर्व बैंक के मामलों को केंद्रीय निदेशक मंडल/बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बोर्ड की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा की जाती है।

- चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त / मनोनीत
- संविधान:

→ आधिकारिक निदेशक

पूर्णकालिक: गवर्नर और चार से अधिक डेप्युटी गवर्नर नहीं

→ गैर-आधिकारिक निदेशक

सरकार द्वारा मनोनीत: विभिन्न क्षेत्रों के दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी

अन्य: चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक

आरबीआई के कार्य:

- मौद्रिक नीति तैयार करता है, लागू करता है और इसकी निगरानी करता है।
- बैंकिंग परिचालनों के व्यापक मानकों को निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंधन करता है।
- वह मुद्रा और सिक्के जो संचलन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें जारी और बदली या नष्ट करता है।
- सरकार का बैंकर: केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंकिंग कार्य करता है और उनके बैंकर के रूप में भी कार्य करता है।
- बैंकों का बैंकर: सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों को बनाए रखता है।

भारत में मुद्रा संचलन और प्रबंधन - ऋण दरें

मुद्रा का इतिहास

पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान कागजी मुद्रा जारी की गई थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और प्रांतीय बैंक जैसे निजी बैंकों द्वारा पहली बार पेपर मुद्रा जारी की गई थी।

कागजी/पेपर मुद्रा अधिनियम, 1861 के बाद ही भारत सरकार को मुद्रा छापने के लिए एकाधिकार दिया गया था।

सन 1935 में आरबीआई की स्थापना होने से पहले तक मुद्रा छापने का अधिकार भारत सरकार के पास था, उसके बाद यह जिम्मेदारी आरबीआई ने संभाली।

आरबीआई के पास मुद्रा नोटों और सिक्कों को जारी करने, प्रबंधित करने और वितरित करने का कार्य है। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के आधार पर भारत में मुद्रा का प्रबंधन करता है।

रिजर्व बैंक की सलाह पर सरकार विभिन्न मूल्यवर्गों पर निर्णय लेती है और आरबीआई सुरक्षा सुविधाओं सहित बैंक नोटों के डिजाइन में सरकार के साथ समन्वय करता है।

आरबीआई अधिनियम केंद्रीय बैंक को 5000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्यवर्गों तक नोट प्रकाशित करने की अनुमति देता है। अब तक का मुद्रित उच्चतम मूल्य का नोट 10,000 रुपये का है, जिसे 1938 में और 1954 में मुद्रित किया गया था। इन्हें 1946 में और फिर 1978 में विमुद्रित किया गया था।

5 रुपये का नोट जनवरी 1938 में आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली कागजी मुद्रा थी। इसमें जॉर्ज VI की तस्वीर थी।

सिक्का अधिनियम, 2011 के आधार पर सिक्कों की तिजोरी की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के पास है। आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो केवल बाजार में सिक्के वितरित करता है।

आरबीआई तिजोरी नामक बैंक शाखाओं के माध्यम से नोट और सिक्के वितरित करता है। मुद्रा तिजोरियाँ और सिक्के डिपो वाणिज्यिक, ऑपरेटिव और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

एसबीआई और उसके सहयोगी बैंक अधिकतम संख्या में मुद्रा तिजोरियों का प्रबंधन करते हैं।

मुद्रा प्रवाह के अनुसरण का मार्ग: **प्रिंटिंग प्रेस → आरबीआई कार्यालय → मुद्रा तिजोरियाँ → बैंक शाखाएं → सार्वजनिक**

छोटे सिक्कों का डिपो - कुछ बैंक शाखाएं आरबीआई द्वारा छोटे सिक्कों को जमा करने हेतु छोटे सिक्कों (अर्थात् 1 रुपये से कम मूल्य के सिक्के) के डिपो स्थापित करने के लिए प्राधिकृत हैं, जो उनके संचालन के क्षेत्र में सिक्कों को वितरित करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो मैसूर और सालबोनी में दो बैंकनोट प्रिंटिंग प्रेस चलाती है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के प्रयासों के तहत बीआरबीएनएमपीएल के भीतर एक स्याही विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' कंपनी है। यह सिक्को का मुद्रांकन और बैंक नोटों की छपाई में भी शामिल है। ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं।

गंदे नोट

गंदे नोट वे नोट हैं, जो खराब हो गए हैं या थोड़े कट गए हैं। हालांकि, कट संख्या पैनलों से गुजरना नहीं चाहिए। इन नोटों की कोई भी आवश्यक विशेषता गायब नहीं होती है।

कटे-फटे नोट

कटे-फटे नोट वे नोट हैं, जिनके टुकड़े (2 से अधिक) हो चुके हैं। इनके आवश्यक भाग गायब होते हैं, जिनमें - जारी करने वाले अधिकारी का नाम, गारंटी, वादा खंड, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ प्रतीक, महात्मा गांधी का चित्र, जल चिन्ह शामिल हैं।

गंदे और कटे-फटे नोटों को सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (PSB) शाखा के काउंटरों पर या निजी क्षेत्र बैंक में मुद्रा तिजोरी शाखा या आरबीआई के जारी कार्यालय पर बदला जा सकता है।

जो नोट अत्यधिक गंदे, खस्ताहाल या जले हुए होते हैं, उन्हें केवल आरबीआई के जारी कार्यालय में बदला जा सकता है (RBI के जारी विभाग के दावा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता है)।

गैर-भुगतान योग्य नोट - आरबीआई (नोट रिफंड) नियम, 2009 के नियमों के अनुसार, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों के सबसे बड़े टुकड़ों का क्षेत्रफल 50% से कम या बराबर होने पर आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा।

भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण

एक अध्यादेश, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) के माध्यम से, 19 जुलाई 1969 को, सरकार ने देश के 14 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। 14 प्रमुख वाणिज्यिक निजी बैंक, जिनके द्वारा देश में जमा राशि का 70 प्रतिशत नियंत्रित करने का अनुमान है, उनका स्वामित्व सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया था।

वह 14 बैंक जिन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया था - इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।

वर्ष 1969 तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) एकमात्र बैंक था, जिसका स्वामित्व सरकार के पास था। राष्ट्रीयकरण से पहले 1955 में इसे इंपीरियल बैंक कहा जाता था।

इन 14 बैंकों के स्वामित्व को सरकार के पास स्थानांतरित कर देने के मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण था - अप्रत्याशित तरीके, जिनके द्वारा इनमें निजी संस्थाओं के रूप में कार्य हो रहा था और दूसरा कारण था - इन वाणिज्यिक बैंकों को बड़े उद्योगों और व्यवसायों के लिए आसानी से उपलब्ध चारे के रूप में देखा गया जा रहा था। निजी बैंक अविश्वसनीय थे और उनमें से सन 1947 से सन 1955 के बीच में 361 बैंक असफल रहे थे। एक क्षेत्र के रूप में, कृषि को इन बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया जा रहा था।

मौद्रिक नीति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति आयोजित करने की जिम्मेदारी के साथ निहित है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत यह जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।

मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को केंद्र सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सशक्त बनाने के लिए प्रदान करता है। एमपीसी के तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और अन्य तीन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर - अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी;
- भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी - सदस्य, पूर्व पदाधिकारी;
- भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा मनोनीत किया जाना है - सदस्य, पूर्व पदाधिकारी;
- अन्य 3 सदस्य चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

मौद्रिक नीति के लिखत

आरबीआई, जो देश की मौद्रिक नीति पर नज़र रखता है और नियंत्रित करता है, वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कीमत को स्थिर करता है।

अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मौद्रिक नीति के लिखत व्यापक रूप से 2 प्रकार के होते हैं:

1. मात्रात्मक लिखत या सामान्य उपकरण
2. गुणवत्ता उपकरण या चयनात्मक उपकरण

A. मात्रात्मक लिखत या सामान्य उपकरण

1. आरक्षित निधि अनुपात (Reserve Ratios):

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR): यह बैंक जमा का एक निश्चित प्रतिशत है, जिसे बैंकों को आरबीआई के साथ रखने की आवश्यकता होती है। यह निवल मांग और आवधिक/ सावधि/ मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर आधारित है,

→ आरबीआई के साथ जितना अधिक सीआरआर होगा, सिस्टम में उतनी ही तरलता कम होगी, या फिर इसके विपरीत होगा।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR): प्रत्येक वित्तीय संस्थान को अपने एनडीटीएल के किसी भी समय अपने पास कुछ निश्चित अर्थसुलभ / चल / तरल आस्ति / परिसंपत्ति को बनाए रखना होता है।

→ एसएलआर जितना अधिक होगा, बैंकों को सिस्टम में उधार देने की अनुमति उतनी ही कम होगी, या फिर इसके विपरीत होगा।

→ आरबीआई क्रेडिट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है।

2. खुला बाजार परिचालन (खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय) (OMO):

खुला बाजार परिचालन मौद्रिक नीति का एक साधन है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को पब्लिक और बैंकों से खरीदा या बेचा जाता है।

आरबीआई क्रेडिट प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है।

3. नीति दरें (Policy Rates):

बैंक दर: बैंकिंग प्रणाली को धन या ऋण प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा लगाई गई ब्याज की दर को बैंक दर कहा जाता है, जिसे बट्टा दर के नाम से भी जाना जाता है।

→ बैंक दर में वृद्धि → वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेने की लागत में वृद्धि → जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की क्रेडिट वॉल्यूम में कमी आती है → धन की आपूर्ति की अस्वीकृति

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF): एक मौद्रिक नीति है, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देती है।

पुनःखरीद दर: रेपो दर वह दर है, जिस पर आरबीआई आम तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अपने ग्राहकों को उधार देता है।

प्रतिवर्ती रेपो / पुनः क्रय दर: वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): जब आंतरिक बैंक चलनिधि पूरी तरह से खत्म जाती है, तो यह बैंकों के लिए आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से उधार लेने की एक खिड़की है।

B. गुणवत्ता उपकरण या चयनात्मक उपकरण (Qualitative Instruments or Selective Tools)

ये उपकरण क्रेडिट की गुणवत्ता या क्रेडिट के उपयोग की ओर निर्देशित नहीं हैं। उनका उपयोग क्रेडिट के विभिन्न उपयोगों के बीच भेदभाव के लिए किया जाता है।

1. मार्जिन आवश्यकताओं की फिक्सिंग:

मार्जिन "ऋण राशि का वह अनुपात है, जिसे बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है"।

मार्जिन में बदलाव का तात्पर्य ऋण की राशि में बदलाव से है। इस विधि का उपयोग जरूरतमंद क्षेत्र के लिए क्रेडिट आपूर्ति को प्रोत्साहित करने और अन्य गैर-आवश्यक क्षेत्रों के लिए इसे हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

2. उपभोक्ता ऋण विनियमन:

आरबीआई डाउन पेमेंट और किस्त (EMI) नियमों को बदलकर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है।

3. चयनात्मक ऋण नियंत्रण:

इसके तहत आरबीआई विशेष रूप से बैंकों को निर्देश दे सकता है कि वे निश्चित वस्तुओं के व्यापारियों को ऋण न दें।

4. क्रेडिट (ऋण) की राशनिंग:

सेंट्रल बैंक क्रेडिट राशि की मंजूरी को तय करता है। इससे अवांछित क्षेत्रों में बैंकों के क्रेडिट एक्सपोजर को कम करने में मदद मिल सकती है।

5. नैतिक प्रत्यायन/ दबाव:

इसमें वाणिज्यिक बैंकों को किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने हेतु राजी करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली विविध प्रकार की अनौपचारिक विधियां शामिल हैं। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है।

6. सीधी/ प्रत्यक्ष कार्रवाई:

शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ आरबीआई द्वारा यह कदम लिया जाता है।

आरबीआई उनके बिल और प्रतिभूतियों को फिर से जमा करने से इंकार कर सकता है।

भारत में बैंक खातों के प्रकार

बैंक खाता किसी ग्राहक के लिए एक बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय खाता है। एक बैंक खाता जमा खाता, क्रेडिट कार्ड खाता, चालू खाता या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाले किसी अन्य प्रकार का खाता हो सकता है और उस धन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ग्राहक ने वित्तीय संस्थान को सौंप दिया है और जिससे ग्राहक निकासी कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, बैंक खाते ऋण खाते भी हो सकते हैं, जिसमें ग्राहक वित्तीय संस्थान को धन का भुगतान करता है।

भारत में बैंक खातों के प्रकार

1. बचत खाता -

यह खाता बैंक में व्यक्तिगत रूप से अपनी कमाई के कुछ हिस्से को बचाने के लिए खोला जा सकता है।

बचत खाते में किसी व्यक्ति द्वारा एक महीने के अंदर धन जमा करने या निकाले जा सकने पर प्रतिबंध होता है। किसी व्यक्ति द्वारा खाते में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम जमा राशि बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ बैंक शून्य शेष खाते भी प्रदान करते हैं।

बचत खाते पर कोई व्यक्ति ब्याज की कुछ दर अर्जित करता है, जो अलग अलग बैंकों में भिन्न-भिन्न होती है। इससे पहले यह ब्याज दर आरबीआई तय करती थी, लेकिन अब बैंक बचत खातों पर अपनी ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2. चालू खाता-

फर्म या कंपनी के नाम पर व्यापारिक लेनदेन के लिए चालू खाते खोले जाते हैं।

बैंक चालू खाते में रखे गए पैसे पर ब्याज की कोई दर नहीं देते हैं, लेकिन इस पर बचत खाते की तुलना में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे चालू खातों में जमा या निकासी पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन चालू खाता धारक के लिए कोई पासबुक जारी नहीं की जाती है।

चालू खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा संबंधित बैंकों द्वारा तय की जाती है।

ओवरड्राफ्ट

चालू खाता धारक को ओवरड्राफ्ट सुविधा, खाते का विवरण जैसे कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ओवरड्राफ्ट का अर्थ बैंक खाते से ओवरड्राइंग करने से है। दूसरे शब्दों में, खाता धारक बैंक खाते से जमा की गई राशि से अधिक धन निकालता है।

3. आवर्ती जमा

यह खाता वेतनधारी लोगों के लिए है, जो हर महीने एक निश्चित राशि बचा सकते हैं।

इस खाते में एक व्यक्ति निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करता है।

आरडी की न्यूनतम अवधि 6 महीने है और अधिकतम 10 वर्ष है।

4. सावधि जमा

एफडी खाते में एक व्यक्ति एक ही बार में निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि जमा करता है।

बैंक सावधि जमा खाते की अवधि के निर्धारण आधार पर ब्याज दर का भुगतान करता है, अवधि के पूरा होने के बाद बैंक राशि पर प्राप्त ब्याज के साथ राशि का भुगतान करता है।

यदि निश्चित अवधि के पूरा होने से पहले व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है और वह समयपूर्व धन निकालता है, तो बैंक उसे जुर्माना भी लगाता है।

एफडी की अवधि 7 दिनों से 10 वर्ष तक भिन्न-भिन्न हो सकता है।

निवल मांग और आवधिक/ सावधि/ मीयादी देयताएं (NDTL)

निवल मांग और आवधिक/ सावधि/ मीयादी देयताएं या एनडीटीएल किसी बैंक (सार्वजनिक या अन्य बैंक के साथ) की मांग और आवधिक/ सावधि/ मीयादी देयताओं (जमा) के योग और अन्य बैंक द्वारा आयोजित संपत्ति के रूप में जमा के बीच का अंतर दर्शाता है।

निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके एनडीटीएल की गणना की जा सकती है-

बैंक का एनडीटीएल = निवल मांग और आवधिक/ सावधि/ मीयादी देयताएं (जमा) - अन्य बैंक के साथ जमा

वित्तीय समावेशन

मूल बचत बैंक जमा खाता (BSBDA)

नवंबर 2005 में बैंकों को सलाह दी गई कि वे मूलभूत बैंकिंग 'सादा-खाते (नो-फ्रिल)' को 'शून्य' या बहुत कम न्यूनतम शेष राशि पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे शुल्क भी उपलब्ध कराएं, जो इस तरह के खातों को जनसंख्या के विशाल वर्गों तक पहुंचा सकें।

लेकिन मूलभूत बैंकिंग 'नो-फ्रिल' खातों को खोलने के दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय समावेशन पर, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 'मूल बचत बैंक जमा खाता' प्रदान करें जो उनके सभी ग्राहकों को निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगी:

बीएसबीडीए को न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होगी।

एक माह में किए जा सकने वाले जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, खाता धारकों को एक महीने में अधिकतम चार बार निकासी की अनुमति होगी, जिसमें एटीएम निकासी भी शामिल है।

बीएसबीडीए भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है, जिसमें वो विदेशी बैंक भी शामिल हैं, जिनकी भारत में शाखाएं हैं।

अग्रणी बैंक योजना (LBS)

'क्षेत्र दृष्टिकोण' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और क्रेडिट प्रदान करने के लिए वर्ष 1969 में आरबीआई द्वारा एलबीएस की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक क्षेत्र को एक बैंक आवंटित किया गया। एलबीएस को गाडगील अध्ययन समूह और बैंकर समिति (नरीमन समिति) की सिफारिश के आधार पर पेश किया गया था। एलबीएस के तहत, देश भर के हर जिले को एक वाणिज्यिक बैंक आवंटित किया जाएगा। अग्रणी बैंक के काम करने के लिए उस बैंक की उस जिले में बड़ी उपस्थिति होनी चाहिए। अग्रणी बैंक सर्वेक्षण करता है और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)

पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देशभर के सभी घरों के व्यापक वित्तीय समावेशन को हासिल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित क्रेडिट तक पहुंच, प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन की पिछड़े अनुभागों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, लाभार्थियों को रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसमें 1 लाख रुपये का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर होगा। इस योजना में लाभार्थियों के खातों में सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) की चैनलिंग परिकल्पित है और केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को बढ़ावा देने की भी योजना है।

कारोबार/व्यवसाय - बैंकिंग प्रतिनिधि (BC)

आरबीआई ने वर्ष 2006 में एक विनियमन शुरू किया, जिससे बैंकों को तीसरे पक्ष की सेवाओं के उपयोग के माध्यम से लोगों के दरवाजे पर सेवा प्रदान करने की इजाजत दी गई है क्योंकि आधारभूत वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी एक बड़ी चुनौती है। इस मॉडल को कारोबार/व्यवसाय - बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है।

बीसी द्वारा प्रदान किए गए उत्पाद हैं: छोटे बचत खाते, सावधि जमा और कम न्यूनतम जमा के साथ आवर्ती जमा, किसी भी बीसी ग्राहक के लिए धन-प्रेषण / विप्रेषण, माइक्रो क्रेडिट और सामान्य बीमा।

बैंकिंग प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग बैंक को बड़े बैंक-रहित क्षेत्र / केंद्र को कवर करने में मदद करता है क्योंकि बैंक बैंकिंग प्रतिनिधियों के साथ मोबाइल और माइक्रो एटीएम का उपयोग बैंक-रहित ग्राहकों को कम लागत वाले बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए कर सकते हैं।

माइक्रो एटीएम- माइक्रो एटीएम कार्ड स्वाइप मशीनें हैं, जिसके माध्यम से बैंक दूरस्थ रूप से अपने मूल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकते हैं। इस मशीन के साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जुड़ा होता है। इनका उपयोग दूरस्थ स्थानों में नकद बांटने के लिए किया जाता है, जहां बैंक शाखाओं की पहुंच नहीं है। माइक्रो एटीएम पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल के समान हैं और यह डोरस्टेप मोबाइल बैंकिंग व्यवस्था सह-मोबाइल एटीएम डिवाइस हैं।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL)

पीएसएल आरबीआई द्वारा बैंकों को दी गई एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बैंक ऋण के निर्दिष्ट हिस्से को प्रदान करने के लिए है। यह अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं के विकास के लिए है, जो केवल वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का विरोध करता है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत श्रेणियां हैं: कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात क्रेडिट, शिक्षा, आवास, सामाजिक आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य।

प्राथमिकता-प्राप्त ऋण प्रमाण पत्र (PSLC) एक तंत्र है, जो बैंकों को कमी के मामले में इन उपकरणों की खरीद द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य और उप-लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह अधिक/अन्य बैंकों को भी प्रोत्साहित करता है क्योंकि इससे उन्हें लक्ष्य पर अपनी अतिरिक्त उपलब्धि बेचने की अनुमति मिलती है जिससे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत श्रेणियों को उधार देने में वृद्धि होती है।

छोटे वित्त बैंक और भुगतान बैंक

छोटे वित्त बैंक भारत में निष् बैंकों (niche banks) का एक प्रकार हैं। छोटे वित्त बैंक लाइसेंस वाले बैंक जमा और उधार की स्वीकृति की मूल बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसके पीछे का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के उन वर्गों को वित्तीय समावेश प्रदान करना है, जिन्हें अन्य बैंकों से सेवा नहीं मिल रही है, जैसे छोटी व्यवसायिक इकाइयां, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की इकाइयां।

आरबीआई ने वर्ष 2016 में छोटे वित्त बैंक स्थापित करने के लिए दस इकाइयों को मंजूरी दी। इनमें से प्रत्येक बैंक को अपनी शाखाओं की कम से कम 25% शाखाओं को उन क्षेत्रों में खोलना था, जहां किसी अन्य बैंक की शाखाएं नहीं हैं (बैंक-रहित क्षेत्र / केंद्र)। प्राथमिकता-प्राप्त ऋण में फर्मा हेतु एक छोटे वित्त बैंक के पास उसके शुद्ध क्रेडिट का 75% ऋण के रूप में होना चाहिए और इसके पोर्टफोलियो में 50% ऋण ₹ 25 लाख से कम होने चाहिए।

यह नचिकेतमोर समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

भुगतान बैंक

भुगतान बैंक किसी भी अन्य बैंक की तरह है लेकिन किसी भी क्रेडिट जोखिम के बिना छोटे पैमाने पर इसका परिचालन होता है। यह ज्यादातर बैंकिंग परिचालन कर सकते हैं लेकिन ऋण अग्रिम नहीं कर सकता है या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। यह मांग जमा (1 लाख रुपये तक), प्रेषण सेवाएं, मोबाइल भुगतान / स्थानान्तरण / खरीद और अन्य बैंकिंग सेवाओं जैसे एटीएम / डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर स्वीकार कर सकते हैं।

भुगतान बैंक का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित वातावरण में छोटे व्यवसाय, कम आय वाले परिवारों, प्रवासी श्रम कार्यबल को भुगतान और वित्तीय सेवाओं के प्रसार को विस्तृत करना है।

इन बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

पीएमएमवाई योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए की गई है।

इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

पीएमएमवाई के तहत, लाभार्थी माइक्रो यूनिट / उद्यमी की प्रगति/विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के चरण को इंगित करने के लिए मुद्रा ने तीन उत्पादों का निर्माण किया है, अर्थात् 'शिशु' (50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करता है), 'किशोर' (50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करता है) और 'तरुण' (5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करता है) और यह स्नातक/विकास के अगले चरण के लिए संदर्भ बिंदु भी प्रदान करता है।

धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण दर (MCLR)

एमसीएलआर प्रणाली को रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों को न्यूनतम दरों पर ऋण प्रदान करने के साथ-साथ बाजार दर में उतार-चढ़ाव लाभ प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। इस नई प्रणाली ने बेस रेट को बदल दिया, जिसने खुद ही बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को बदल दिया।

एमसीएलआर सीमांत लागत के आधार पर या संभावित उधारकर्ता को एक और रुपये की व्यवस्था करने की अतिरिक्त या वृद्धिशील लागत के आधार पर होता है।

एमसीएलआर चार घटकों पर निर्भर करता है - वित्त पोषण की सीमांत लागत, प्रकट प्रीमियम, परिचालन लागत और क्रेडिट आरक्षित निधि अनुपात के नकारात्मक वाहक खाते।

अनर्जक आस्तियां/ परिसंपत्तियां (NPA)

कोई भी संपत्ति, जिसमें पट्टे वाली संपत्ति भी शामिल है, जब बैंक के लिए आय उत्पन्न करना समाप्त कर दे, तो वह अनर्जक आस्ति/ परिसंपत्ति हो जाती है। भारत में बैंक और एनबीएफसी आम तौर पर 90 दिन और 120 दिन के अपराधी मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्ति/ परिसंपत्ति (NPA) के रूप में ऋण खाते को वर्गीकृत करते हैं।

परिसंपत्तियों के प्रकार	परिभाषा	अवधि
1. मान संपत्तियाँ	किसी बैंक के लिए मानक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है, जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।	0-89 दिन
2. एनपीए	यह एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूल या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।	दिन
3. उप-स्टैंडर्ड	वह संपत्तियाँ, जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई हैं।	12 महीने से कम
4. संदिग्ध ऋण	किसी संपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह 12 महीने से अधिक अवधि के लिए एनपीए बनी हुई है।	12 महीने से अधिक
5. हानि	हानि संपत्तियाँ वे हैं, जहाँ बैंक द्वारा नुकसान उठाया जा रहा है और जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है।	

ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 'स्थिति': बकाया राशि वाला खाता जो लगातार स्वीकृत सीमा/ड्राइंग पावर से अधिक बना रहता है।

अतिदेय: यदि किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय किसी भी राशि का भुगतान बैंक द्वारा तय की गई देय तिथि पर नहीं किया जाता है, तो यह राशि 'अतिदेय' है।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act)

सरफेसी अधिनियम, 2002 एक ऐसा कानून है, जो वित्तीय संस्थानों को कई तरीकों से संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा एनपीए से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण (RCs) और परिसंपत्ति सुरक्षा कंपनियों (SCs) की स्थापना को बढ़ावा देता है।

यह अधिनियम एनपीए की वसूली के लिए तीन विधियाँ प्रदान करता है, अर्थात्- प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और अदालत के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा का प्रवर्तन। यह आरबीआई द्वारा विनियमित है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC)

डीआईसीजीसी, आरबीआई का बहुत पुराना गौण निकाय है, जो आरबीआई ऐक्ट के दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत सभी बैंकों को इंश्योरेंस मुहैया कराती है।

अध्यक्ष: बी. पी. कानूनगो

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीयकृत/स्थानीय बैंक और आरबीआई का डीआईसीजीसी के द्वारा बीमा किया जाता है।

कोई भी बीमित बैंक डीआईसीजीसी की कवरेज से खुद को वापस नहीं ले सकता है। सभी बैंकों के लिए जमा बीमा योजना अनिवार्य है।

डीआईसीजीसी बचत, चालू, सावधि, आवर्ती, आदि के रूप में सभी जमा की बीमा करता है।

जमाकर्ता, बैंक के लाइसेंस के निरस्तीकरण या परिसमापन की तिथि या जिस तिथि पर एकीकरण/विलय/पुनर्निर्माण की योजना शुरू होती है, उस पीआर उनके द्वारा धारित मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का बीमा कर सकते हैं।

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के खाते

'अनिवासी भारतीय' (NRI) वह व्यक्ति हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन भारत के नागरिक हैं।' भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) वह व्यक्ति हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या ऐसे दूसरे देशों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, उनके अलावा किसी भी देश के नागरिक हैं।

एनआरआई/पीआईओ निम्नलिखित खाते खोल सकता है-

अनिवासी बाह्य/ विदेशी (NRE) खाता

एनआरआई खाते में पैसा भारतीय रुपए में रखा जाता है। यह एक बचत खाता, एक चालू खाता या सावधि जमा खाता हो सकता है।

एनआरआई खाते का मुख्य लाभ यह है कि इस खाते से पैसे का स्वदेश प्रत्यावर्तन किया जा सकता है- अर्थात्, इस खाते में रखी गई धनराशि को किसी अन्य देश को बिना किसी रोक-टोक के भेजा जा सकता है। एनआरआई खाते से एनआरओ खाते में बिना किसी प्रतिबंध के पैसे स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

अनिवासी समान्य (NRO) खाता

अनिवासी भारतीयों द्वारा एनआरओ खाता खोला जा सकता है। यह एक बचत खाता, चालू खाता, या सावधि/मियादी जमा खाता हो सकता है। अगर खाता धारक एनआरआई बन जाता है, तो समान्य बैंक खाता भी एनआरओ खाते में बदल जा सकता है।

एनआरआई और एनआरओ खाते के बीच मुख्य अंतर यह है कि एनआरओ खाते से पैसे का स्वदेश प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए, एनआरओ खाते में धारित धन का उपयोग केवल भारतीय रुपए में स्थानीय भुगतानों के लिए ही किया जा सकता है। साथ ही, एनआरओ खाते से एनआरआई खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं की जा सकती।

मुद्रा अर्जक ' विदेशी मुद्रा खाता (EEFC)

ईईएफसी वह खाता है, जिसे एक अधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक के साथ विनिमय में रखा खाता है, अर्थात् वह बैंक विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत होता है। यह सुविधा विदेशी मुद्रा अर्जक को प्रदान की जाती है, जिसमें निर्यातक भी शामिल हैं, उन्हें अपनी विदेशी मुद्रा आय का 100 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होता है ताकि खाता धारक विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित या इसके विपरीत लेन-देन ना कर सके, जिससे लेनदेन लागत कम हो जाती है। विदेशी मुद्रा अर्जकों की सभी श्रेणियां जैसे व्यक्तियों, कंपनियों आदि जो भारत में निवास कर रहे हैं, ईईएफसी खाता खोल सकते हैं।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (FCNR)

एक एफसीएनआर खाता सावधि जमा खाता होता है, जिसे एनआरआई और पीआईओ द्वारा विदेशी मुद्रा में रखा जा सकता है। इस प्रकार, एफसीएनआर बचत खाते नहीं बल्कि सावधि जमा खाते होते हैं।

वर्ष 2011 से पहले, एफसीएनआर जमा छह मुद्राओं में रखे जाने की अनुमति दी गई थी: अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग (GBP), यूरो, जापानी येन, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कनेडियन डॉलर। हालांकि, आरबीआई ने फैसला किया कि भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों को किसी भी अनुमत मुद्रा में एफसीएनआर डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए अनुमत मुद्रा का अर्थ एक विदेशी मुद्रा से होगा, जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है और दूसरों में से डेनिश क्रोन, स्विस् फ्रैंक और स्वीडिश क्रोना के बीच लोकप्रिय हैं।

विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR खाता)

भारत के बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि भारत में व्यापार कर रहा है, तो वह रुपए में निष्कपट लेनदेन के माध्यम से चलने के उद्देश्य के लिए एक प्राधिकृत डीलर के साथ SNRR खाता खोल सकता है, जो इसके अंतर्गत बने अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है। SNRR केवल बिना ब्याज के खाते के रूप में आयोजित किया जा सकता है और यह एक प्रत्यावर्तनीय खाता है।

बैंकिंग क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले कोड

MICR (Magnetic Ink Character Recognition, मैग्नेटिक इंक कैरक्टर रेकोग्निशन)

MICR मैग्नेटिक इंक कैरक्टर रेकोग्निशन (Magnetic Ink Character Recognition) का संक्षिप्त रूप है, जो एक तकनीक है, जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग में MICR कोड मुद्रण में किया जाता है।

MICR कोड एक 9-अंकीय कोड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) में भाग लेने वाले किसी बैंक और शाखा की अद्वितीय रूप से पहचान करता है। कोड के पहले 3 अंक शहर-कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्य वाले बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 3 शाखा कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी चेक के नीचे, चेक नंबर के बगल में MICR कोड का पता लगा सकते हैं। यह आमतौर पर एक बचत बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर छपा होता है।

MICR कोड मशीनों द्वारा चेकों के संचालन में प्रयोग किया जाता है। यह कोड चेक के तेजी से संचालन को सक्षम बनाता है।

IFSC (Indian Financial System Code, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड)

IFSC का अर्थ **Indian Financial System Code** है। यह एक 11-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक कोड है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा विनियमित किसी भी निधि अंतरण प्रणाली में भाग लेने वाली किसी शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। **IFSC** कोड आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस पद्धति का उपयोग करके धन अंतरण करने में सहायता करता है।

IFSC के पहले 4 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 अक्षर शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा अक्षर शून्य होता है।

स्विफ्ट (SWIFT)

SWIFT का अर्थ है 'दुनिया भर में अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार के लिए समाज (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)'। यह एक संदेश नेटवर्क है, जिसका उपयोग वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोडों की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से सूचना और निर्देशों के सुरक्षित संचरण के लिए किया जाता है। स्विफ्ट प्रत्येक वित्तीय संगठन के लिए एक अनन्य कोड प्रदान करता है, जिसमें या तो 8 अक्षर या 11 अक्षर होते हैं। इस कोड को बैंक पहचानकर्ता कोड (BIC), स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट आईडी, या ISO 9362 कोड कहा जाता है।

भारत में स्थानांतरण प्रणाली

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निधि अंतरण प्रणाली, National Electronics Funds Transfer System (NEFT)

NEFT किसी एक के द्वारा किसी अन्य को किए जाने वाले निधि अंतरण को सुकर बनाने वाली एक राष्ट्र-व्यापी भुगतान प्रणाली है। इस योजना के तहत, व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को इस योजना में भाग लेने वाले देश की किसी भी अन्य बैंक शाखा के एक खाते में धन हस्तांतरण करने की अनुमति होती है।

NEFT का उपयोग करके स्थानांतरित की जाने वाली निधि की राशि पर न्यूनतम या अधिकतम कोई सीमा नहीं है। हालांकि, नकद आधारित धन-प्रेषण/विप्रेषण के लिए भारत के भीतर प्रति लेनदेन अधिकतम राशि ₹ 50000/ तक सीमित है और यह भारत-नेपाल धन-प्रेषण/विप्रेषण सुविधा योजना के तहत नेपाल में धन-प्रेषण/विप्रेषण के लिए भी लागू होता है।

Real Time Gross Settlement (RTGS), तत्काल सकल निपटान

आरटीजीएस को आदेश के आधार पर (निवल राशि के बिना) व्यक्तिगत रूप से एक आदेश पर निधियों के स्थानांतरण के सतत (तत्काल समय) निपटान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 'तत्काल समय' का अर्थ, उसी समय पर निर्देशों का संचालन होने से है, जिस समय पर वह प्राप्त होते हैं, न कि कुछ समय बाद निर्देशों के संचालन से है; 'सकल निपटान' का अर्थ, निधि अंतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से होने से है। (अनुदेशक के अनुदेश के आधार पर)

आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख है। आरटीजीएस लेनदेन के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

भारत में एटीएम

एक स्वचालित टेलर मशीन (ATM) ग्राहकों को किसी भी समय और बैंक कर्मचारियों के साथ सीधी बातचीत की आवश्यकता के बिना वित्तीय लेन-देन जैसे नकद निकासी, जमा, निधि अंतरण या खाते की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFS) भारत में साझा एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे वर्ष 2004 में बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) द्वारा डिजाइन, विकसित और तैनात किया गया था। इसे एनपीसीआई द्वारा चलाया जाता है।

भारत में पहला एटीएम वर्ष 1997 में एचएसबीसी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने भारत में साझा एटीएम के पहले नेटवर्क SWADHAN को स्थापित किया। इसका प्रबंधन पांच साल तक इंडिया स्विच कंपनी (ISc) द्वारा किया गया और कार्डधारकों को नकदी निकालने की अनुमति दी गई थी।

पहला आधुनिक एटीएम दिसंबर 1972 में ब्रिटेन में उपयोग में लिया गया था। एटीएम को विदेशी बैंकों द्वारा की गई शुरुआत से 1990 के दशक में भारतीय बैंकिंग उद्योग में पेश किया गया था।

एटीएम के प्रकार

बैंक एटीएम- इनका स्वामित्व और संचालन संबंधित बैंकों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए एसबीआई बैंक एटीएम, आईसीआईसीआई बैंक एटीएम।

ब्राउन लेबल एटीएम

जब बैंक किसी तीसरे पक्ष को एटीएम संचालन का जिम्मा देते (आउटसोर्स) हैं, तो उसे ब्राउन लेबल एटीएम कहा जाता है। निजी कंपनी एटीएम मशीन पर स्वामित्व रखती हैं और उनका संचालन करती हैं।

वह बैंक जो इस काम का आउटसोर्स करते हैं, वही एटीएम के लिए नकद प्रदान करते हैं।

इन पर बैंक का लोगो होता है।

व्हाइट लेबल एटीएम (WLA)

ये गैर-बैंकिंग संस्थाओं के स्वामित्व में होते हैं।

इन पर कोई बैंक का लोगो नहीं होता है।

आरबीआई ने ऐसे एटीएम खोलने के लिए गैर-बैंकिंग संस्थाओं को लाइसेंस/अनुमति दी है।

100 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मूल्य वाली कोई भी गैर-बैंकिंग संस्था व्हाइट लेबल एटीएम के लिए आवेदन कर सकती है।

टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशन व्हाइट लेबल एटीएम खोलने के लिए आरबीआई की अनुमति प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है।

उन्होंने इंडिकश ब्रांड नाम के तहत अपनी श्रृंखला की शुरुआत की।

अन्य WLA हैं - मुथूट फाइनेंस एटीएम, प्रिज्म पेमेंट आदि।

कार्ड के प्रकार

कार्ड को निर्गमन, कार्ड धारक द्वारा उपयोग और भुगतान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन प्रकार के कार्ड होते हैं - (a) डेबिट कार्ड (b) क्रेडिट कार्ड और (c) प्रीपेड कार्ड

डेबिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं और एक बैंक खाते से जुड़े होते हैं। क्रेडिट कार्ड आरबीआई द्वारा अनुमोदित बैंकों/अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रीपेड कार्ड कार्डधारक द्वारा पहले से भुगतान किए गए मूल्य के लिए बैंकों/गैर बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो इन कार्ड में संग्रहित होता है, जो स्मार्ट कार्ड या चिप कार्ड, मैगनेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट खातों, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल खातों, मोबाइल वॉलेट, पेपर वाउचर आदि के रूप में जारी किया जा सकता है।

डेबिट कार्ड: डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम से नकदी निकालने के लिए, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर सामान और सेवाओं को पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस)/ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) से खरीदने के लिए किया जाता है (बशर्ते यह अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए सक्षम हो)। हालांकि, इसका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को घरेलू निधि अंतरण के लिए भी किया जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड: क्रेडिट कार्ड का उपयोग पॉइंट ऑफ सेल (POS) और ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर)/आवर्ती लेन-देन/मेल ऑर्डर टेलीफोन ऑर्डर (MOTO) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। ये कार्ड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किये जा सकते हैं (बशर्ते यह अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए सक्षम होना चाहिए)। क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी एटीएम से नकदी निकालने के लिए और देश के भीतर बैंक खातों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है।

प्रीपेड कार्ड: बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल किसी एटीएम से नकदी निकालने, पॉइंट ऑफ सेल (POS) और ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को घरेलू निधि अंतरण के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्रीपेड कार्ड ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि, प्राधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रीपेड कार्ड का उपयोग केवल पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीद) पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को घरेलू निधि अंतरण के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्रीपेड कार्ड सेमी-क्लोज्ड सिस्टम प्रीपेड कार्ड के रूप में जाने जाते हैं। इन कार्ड को केवल घरेलू उपयोग के इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम

एक बैंक कई प्रकार के जोखिम उठा सकता है, जिन्हें ध्यान से प्रबंधित किया जाना चाहिए। जोखिम उस शर्त को संदर्भित करता है, जहां एक विशेष परिणाम की अवांछनीय घटनाओं के घटित होने की संभावना होती है, जो सबसे अधिक घटित होने के लिए जाना जाता है और इसलिए बीमा योग्य होता है।

प्रत्येक बैंक द्वारा झेले जाने वाले प्रमुख प्रकार के जोखिम इस प्रकार हैं-

1. ऋण जोखिम-

ऋण जोखिम वह जोखिम है, जो उधारकर्ताओं द्वारा ऋण का भुगतान ना करने की संभावना से पनपता है। हालांकि ऋण जोखिम काफी हद तक भुगतान प्राप्त नहीं करने के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, इस श्रेणी में बैंक विलंबित भुगतान के जोखिम को भी शामिल करते हैं।

2. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वित्तीय बाजार के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण पनपता है। बैंकों की व्यापारिक पुस्तक में मैकिंकज़े बैंक घाटे के जोखिम के रूप में बाजार जोखिम को परिभाषित करता है, जिसका कारण इक्विटी मूल्य, ब्याज दरों, क्रेडिट स्प्रेड, विदेशी विनिमय दरों, कमोडिटी की कीमतों, और अन्य संकेतकों में परिवर्तन है, जिनका मूल्य एक सार्वजनिक बाजार में निर्धारित होता है।

3. परिचालन जोखिम

बैंक की दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत किन्हीं असफल (त्रुटिपूर्ण) व्यवसायिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप परिचालन जोखिम पनपता है। परिचालन जोखिम के उदाहरणों में गलत खाते में जमा किए गए भुगतान या बाजारों में लेनदेन करते समय गलत ऑर्डर को क्रियाविधित करना आदि शामिल होते हैं। किसी बैंक का कोई भी विभाग परिचालन जोखिमों से उन्मुक्त नहीं है।

4. चलनिधि जोखिम

जब जमाकर्ता अपने पैसे वापस लेने के लिए आते हैं, तो बैंक द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाने से होने वाले जोखिम को चलनिधि जोखिम कहते हैं। यह जोखिम आंशिक रिजर्व बैंकिंग प्रणाली में निहित है।

5. व्यापार जोखिम

किसी कथित बैंक द्वारा गलत रणनीति के चुनाव का जोखिम हमेशा रहता है। इस गलत चयन के परिणामस्वरूप, बैंक को घाटा भुगतना पड़ सकता है और जिसके परिणामस्वरूप अंत में या तो बैंक का अधिग्रहण हो जाता है या फिर बैंक बंद हो जाता है। अनुचित व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुसरण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों के पास कोई संभव रास्ता नहीं है।

6. प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम

प्रतिष्ठा बैंकिंग कारोबार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमूर्त परिसंपत्ति है। प्रतिष्ठा जोखिम किसी व्यापार के अच्छे नाम के लिए खतरा या चेतावनी है। यह कई प्रकारों के माध्यम से उत्पन्न हो सकती है, जैसे स्वयं कंपनी के कार्यों के सीधे परिणाम के रूप में या किसी कर्मचारी के कार्यों के कारण।

7. प्रणालीगत जोखिम

प्रणालीगत जोखिम वह जोखिम है, जो किसी एक बैंक या वित्तीय संस्थान प्रभावित करने की बजाय पूरे उद्योग को प्रभावित करता है। प्रणालीगत जोखिम व्यापक विफलताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ एक बड़ी एंटीटी की विफलता, उद्योग में अन्य सभी की विफलता का कारण बन सकती है।

8. नैतिक परिसंकट/ जोखिम

जब एक बड़ा बैंक या बड़ी वित्तीय संस्थान यह जानते हुए भी कोई जोखिम लेता है, कि किसी और को उन जोखिमों के बोझ का सामना करना पड़ेगा, तो इस प्रकार के जोखिम को नैतिक परिसंकट/जोखिम कहा जाता है।

बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग लोकपाल की भूमिका

बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है, जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के खंड 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के आधार पर कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करता है।

बैंक ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली निश्चित सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना एक आविलम्बित और सस्ता फोरम है। बैंकिंग लोकपाल योजना को आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 35 ए के तहत 1995 से लागू किया गया है। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 (यथा 1 जुलाई, 2017 तक संशोधित) संचालन में है।

इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।

बेसल III समझौता

बेसल समझौते, बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा निर्धारित बैंकिंग विनियमों (बेसल I, II और III) के तीन समूह हैं, जो पूंजी जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के संबंध में बैंकिंग विनियमों पर सिफारिशें प्रदान करते हैं। इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थाओं के पास दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए खाते में पर्याप्त पूंजी हो।

BCBS की स्थापना 1947 में बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों में अपने सदस्य देशों के बीच नियमित रूप से सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति के अनुसार "बेसल III, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा विकसित सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है, जो बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करता है"।

बेसल 3 उपायों के उद्देश्य-

- वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न संकटों की उपलब्ध स्रोतों के साथ क्षतिपूर्ति करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार
- जोखिम प्रबंधन और प्रशासन में सुधार
- बैंकों की पारदर्शिता और प्रकटीकरण को सुदृढ़ करना

बैंकिंग संबंधी योजनाएं

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

• SCSS मुख्य रूप से भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जो नियमित आय प्रदान करता है और जोखिम मुक्त कर बचत निवेश है।

• SCSS के लिए पात्रता:

- 1. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले भारत के वरिष्ठ नागरिक।
- 2. वह सेवानिवृत्त, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) या 55-60 वर्ष के बीच की आयु के साथ अधिवर्षिता को चुना है।
- 3. 50 वर्ष की न्यूनतम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मिक।
- 4. हिंदू अविभक्त परिवारों (HUFs) और अनिवासी भारतीयों को इस योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

• निवेश कैसे करें?

- कोई भी वरिष्ठ नागरिक किसी डाकघर या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ या तो व्यक्ति खाता या संयुक्त खाता (जीवनसाथी के साथ) खोल कर इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

- **1ई व्यक्ति कितना निवेश कर सकता है?**

- योजना में निवेश की गई राशि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले धन से अधिक नहीं हो सकती। अतः कोई व्यक्ति या तो 15 लाख रुपए या सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्राप्त राशि में से जो भी कम हो, उसका निवेश कर सकता है। नकद द्वारा 1 लाख रुपए से नीचे की राशि और चेक द्वारा 1 लाख रुपए से ऊपर की राशि जमा करा कर खाता खोला जा सकता है।

- **प्रतिगामी बंधक ऋण प्रणाली**

- प्रतिगामी बंधक, वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर को गिरवी रखने के बदले में किसी उधारदाता (कोई बैंक या कोई वित्तीय संस्थान) से एक नियमित आय की राशि प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। उधारकर्ता (अर्थात् संपत्ति को गिरवी रखने वाला व्यक्ति), अपने जीवन के अंत तक संपत्ति में रहता है और उस पर एक आवधिक भुगतान प्राप्त करता है। यह पारंपरिक आवास ऋण से अलग है।

- इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी।

- **पात्रता**

- आवासीय घर या फ्लैट के मालिक व्यक्ति, जो भारत के एक निवासी है और 60 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, वे इस ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

- आवासीय घर उस व्यक्ति के नाम पर या उसके पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप में होना चाहिए।

- यदि ऋण संयुक्त खाते में है, तो दंपति में से एक 60 वर्ष और उससे ऊपर का होना चाहिए और दूसरा कम से कम 58 वर्ष का होना चाहिए।

- इसके तहत न्यूनतम 3 लाख रुपए & अधिकतम 1 करोड़ रुपए का लाभ उठाया जा सकता है।

- **स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015**

- यह एक ऐसी योजना है, जिससे सोने के जमाकर्ताओं को अपने धातु खातों पर ब्याज अर्जित करने की सुविधा दी जाती है। एक बार सोना धातु खाते में जमा हो जाए, तो उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है।

- इस योजना ने तत्कालिन स्वर्ण जमा योजना, 1999 को प्रतिस्थापित कर दिया। हालांकि, स्वर्ण जमा योजना और स्वर्ण धातु ऋण योजनाओं के तहत बकाया जमा को परिपक्वता तक रखे जाने की अनुमति है। अगर इन जमाकर्ताओं द्वारा समय से पहले मौजूदा निर्देशों के अनुसार निकासी नहीं की जाती है, तो इन्हें परिपक्वता तक रखे जाने की अनुमति है।

- जमा की न्यूनतम मात्रा 30 ग्राम है। सोना किसी भी रूप में हो सकता है, बुलियन या आभूषण। कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

- स्वर्ण मुद्राकरण योजना के तहत 3 मियादी जमा योजनाएँ उपलब्ध हैं:

- अल्पावधि: 1 से 3 वर्ष

- मध्यावधि: 5 से 7 साल

- दीर्घावधि: 12 से 15 वर्ष

- **संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना (SGBs)**

- SGBs सोने के ग्रामों में मूल्यवर्ग की सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये भौतिक सोने को रखने का एक विकल्प हैं। निवेशकों को नकद में निर्गम के भाव/ की कीमत का भुगतान करना होगा और परिपक्वता पर बॉन्ड का नकद में मोचन किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा बॉन्ड जारी किया जाता है।

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत दी गई व्याख्या के अनुसार भारत में निवास करने वाले व्यक्ति एसजीबी में निवेश करने के लिए पात्र हैं। पात्र निवेशकों में कोई भी व्यक्ति, HUFs (हिंदू अविभक्त परिवार), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान शामिल हैं।

- ये बॉन्ड सोने के एक ग्राम के मूल्यवर्ग में और उसके गुणकों में जारी किए जाते हैं। इन बॉन्डों में न्यूनतम निवेश एक ग्राम होगा और सदस्यता की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किग्रा, हिंदू अविभक्त परिवारों के लिए 4 किग्रा और ट्रस्टों और प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किग्रा होगी। संयुक्त खाते के मामले में, पहले आवेदक पर सीमा लागू होती है।

- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (PMGKDS)**

- PMGKDS 2016 गरीबी को संबोधित करने के उद्देश्य से 16 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना है। PMGKY को कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 का हिस्सा बनाया गया है।

- आय कर विधेयक के संशोधित संशोधन के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने अपनी अज्ञात आय (ब्लैक मनी) घोषित की है, उन्हें 10% जुर्माना, 30% की दर से कर, PMGKY के अंतर्गत 30% की दर से उपकर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

- इसके अतिरिक्त, उनकी अज्ञात आय का 25% PMGKDS योजना में निवेश किया जाएगा, जो बिना किसी ब्याज के जमा के 4 वर्षों के बाद वापस किया जाएगा।

- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना (NBFCs)**

- यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा सेवाओं में कमी करने से संबंधित लागत रहित और शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करेगी।

- यह प्रारंभिक तौर पर चार मेट्रो केंद्रों अर्थात चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में संबंधित जोनों से शिकायतों से निपटने के लिए शुरू की जा रही है, ताकि पूरे देश को कवर किया जा सके।
- यह योजना 23 फरवरी, 2018 से प्रभावशील और कार्य में आई है।
- **किसान विकास पत्र (KVP)**
 - इंडिया पोस्ट ने 1988 में स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के रूप में KVP पेश किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। योजना के 2014 संशोधन के अनुसार इस योजना के लिए अब तक की अवधि 118 माह (9 वर्ष & 10 माह) है। न्यूनतम निवेश 1000 रुपए है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7.3% की ब्याज दर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धित की जाती है।
 - शुरुआत में, यह किसानों के लिए दीर्घावधि बचत के लिए बनाई गई थी और इसलिए इसका नाम यह है। अब यह सभी के लिए उपलब्ध है।

धन के प्रकार और धन की आपूर्ति के उपाय

धन मूल्य के रूप में कुछ भी हो सकता है, जो निम्न के रूप में कार्य करता है -

- (1) आम तौर पर वित्तीय मुद्रा के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं,
- (2) ऋण की अदायगी के लिए कानूनी निविदा,
- (3) मूल्य के मानक,
- (4) लेखांकन माप की इकाई, और
- (5) क्रय शक्ति को एकत्रित करने या बचाने के लिए

पैसे की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं के आदान-प्रदान को वस्तु-विनिमय मुद्रा कहा जाता है। यह अनुकूल स्थिति के दोहरे संयोग की कमी से ग्रस्त है।

धन (पैसे) के प्रकार

वस्तु मुद्रा

यह एक प्रकार का धन है, जिसे पैसे के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाने पर भी जिसका मूल्य होता है। यह आमतौर पर आंतरिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। 'आंतरिक मूल्य' का अर्थ है कि पैसे के रूप में इसके उपयोग के अतिरिक्त भी इसका मूल्य होता है। इतिहास में विभिन्न कालों में सोने, चांदी, अनाज, पशुधन, नमक, और अन्य सामग्री ने वस्तु मुद्रा के रूप में कार्य किया है।

प्रतिनिधि धन

यह कागज मुद्रा है, जिसे किसी मूल्यवान वस्तु आमतौर पर सोने या चांदी की एक निश्चित राशि के लिए विनिमय किया जा सकता है। कागज मुद्रा सुविधाजनक है क्योंकि इसका वजन कम होता है और इस पर बहुत बड़ा मूल्यवर्ग मुद्रित किया जा सकता है, जिसका वजन मुद्रा के एकल इकाइयों से अधिक नहीं होता है। उदाहरण - चैक, डिमांड ड्राफ्ट आदि।

वैध / कागजी मुद्रा

वैध/कागजी मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और न ही इसका सोने-चांदी के सिक्कों (नोटों के बजाय सिक्कों के रूप में धन) से मोचन किया जा सकता है। इसका मूल्य सरकारी डिक्ली या वैधता से उत्पन्न होता है। वैध मुद्रा का सबसे अच्छा उदाहरण कागज मुद्रा है।

वाणिज्यिक बैंक धन

यह किसी मुद्रा के उस भाग का वर्णन करता है, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गए ऋण के लिए बनाया जाता है। जब बैंक उनके पास की वास्तविक संप्रभु मुद्रा के कई गुना मूल्य (आमतौर पर 10 गुना अधिक) के ऋण जारी करने के लिए आंशिक आरक्षित बैंकिंग का उपयोग करते हैं, तो इसे बनाया जाता है।

धन आपूर्ति के उपाय

पैसे की आपूर्ति, पैसे की मांग की तरह, एक स्टॉक चर है। समय के एक विशेष बिंदु पर जनता के बीच संचालित धन के कुल स्टॉक को पैसे की आपूर्ति कहा जाता है। आरबीआई धन आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों अर्थात् M1, M2, M3 और M4 के आंकड़े प्रकाशित करता है। इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:

आरक्षित धन M0 = संचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास बैंकों का जमा + आरबीआई के पास 'अन्य' जमा

Narrow Money M1 = Currency with the public + Demand deposits with the banking system + 'Other' deposits with the RBI

संकीर्ण मुद्रा M1 = जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के साथ मांग जमा + आरबीआई के पास 'अन्य' जमा

Intermediate Money M2 = M1 + Short-term time deposits of residents (including and up to the contractual maturity of one year).

मध्यवर्ती मुद्रा M2 = M1 + निवासियों के अल्पकालिक जमा (एक वर्ष की संविदात्मक परिपक्वता तक और उसके सहित)

Broad Money M3 = M2 + Long-term time deposits of residents + Call/Term funding from financial institutions.

व्यापक / स्थूल मुद्रा M3 = M2 + निवासियों के दीर्घकालिक जमा + वित्तीय संस्थाओं से कॉल/टर्म निधि

भारत में वित्तीय बाजार

वित्तीय बाजार में एक प्रकार का वह बाजार है, जिसमें लोग वित्तीय प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नो (डेरिवेटिव) जैसे फ्यूचर और ऑप्शन के रूप में कम लागत दर पर व्यापार करते हैं। प्रतिभूतियों में स्टॉक्स और बॉन्ड तथा कीमती धातुयें शामिल हैं।

मुद्रा बाजार- मूल रूप से वित्तीय बाजार के एक वर्ग को संदर्भित करता है, जहां उच्च चलनिधि और अल्पकालिक परिपक्वताओं के साथ वित्तीय लिखतों का कारोबार किया जाता है। मुद्रा बाजार एक वर्ष या उससे कम की अल्पकालिक परिपक्वताओं की प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए वित्तीय बाजार का एक हिस्सा बन गया है।

Main instruments of money market in India are: 1. Treasury Bills 2. Commercial Paper 3. Call Money 4. Certificate of Deposit 5. Commercial Bills 6. Repo Market 7. Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO)

भारत में मुद्रा बाजार के मुख्य लिखत हैं: 1. राजकोष / खजाना बिल 2. वाणिज्यिक पत्र 3. मांग मुद्रा 4. जमा प्रमाण पत्र 5. वाणिज्यिक बिल 6. पुनः खरीद बाजार 7. संपाश्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (CBLO)

राजकोष / खजाना बिल: राजकोष/खजाना बिल, जिन्हें शून्य कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के अल्पावधि उधार लिखत होते हैं।

वाणिज्यिक पत्र (CP) एक प्रकार के अल्पकालिक अरक्षित वचन-पत्र होते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से एक वर्ष तक की होती है। चूंकि यह अरक्षित होते हैं, इसलिए इन्हें बड़ी और उधार-विश्वासपात्र कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है ताकि वे अपनी अल्पकालिक निधि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

एक अल्पावधि वित्त, जिसे अंतरबैंक लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे **मांग मुद्रा** कहा जाता है। बैंकों द्वारा मांग मुद्रा बाजार में चलनिधि को पूरा करने के लिए एक रात के उधार (एक दिवसीय ऋण) का लाभ उठाया जा सकता है। यदि बैंक को कुछ और दिनों के लिए निधि की जरूरत होती है, तो वह **सूचना मुद्रा बाजार (notice money market)** के जरिए धन का फायदा उठा सकते हैं। यह दो दिन से चौदह दिन तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

जमा प्रमाण पत्र लघु अवधि के लिखत हैं, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यक्तियों, निगमों और कंपनियों को जारी किया जाता है। वे अरक्षित और परक्राम्य (negotiable) हैं।

वाणिज्यिक बिल एक प्रकार के विनिमय पत्र हैं, जिनका उपयोग फर्मों की कार्यशील पूंजी को वित्त-पोषित करने के लिए किया जाता है। यह एक अल्पकालिक, परक्राम्य (negotiable) और स्वयं परिसमापनशील लिखत है।

पुनःखरीद बाजार (रेपो बाजार)- रेपो या रेडी फोरवर्ड कांट्रैक्ट (ready forward contract) वह लिखत है, जिसमें प्रतिभूतियों को बेचकर निधि उधार ली जाती है और पारस्परिक रूप से सहमत किसी तारीख पर आपस में सहमत किसी मूल्य पर, जिसमें उधार की निधि का ब्याज शामिल होता है, कथित प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का समझौता किया जाता है।

संपार्श्वकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (CBLO) - CBLO एक अन्य मुद्रा बाजार लिखत है, जिसका संचालन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) द्वारा किया जाता है। यह एक दिन से लेकर एक वर्ष तक की परिपक्वता सीमा-अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक बूक एंट्री फार्म में उपलब्ध छूट प्राप्त लिखत है।

पूंजी बाजार उन गतिविधियों को संदर्भित करता है, जो कुछ संस्थाओं से धन इकट्ठा करती हैं और उन्हें अन्य संस्थाओं जिन्हें धन की जरूरत है, उन्हें उपलब्ध कराती हैं। इस तरह के बाजार का मुख्य कार्य लेनदेन की क्षमता में सुधार करना है ताकि प्रत्येक इकाई को खोज और विश्लेषण करने, कानूनी अनुबंध बनाने और निधि अंतरण पूरा करने की आवश्यकता नहीं हो।

पूंजी बाजार में व्यापार (विनिमय माध्यम) के लिखत:

ऋण लिखत: यह एक कागज या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व है, जो एक अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी ऋणदाता का भुगतान करने का वादा करके धन जुटाने के लिए जारीकर्ता पक्ष को सक्षम बनाता है।

ऋण लिखत के प्रकार हैं - नोट, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रमाणपत्र, बंधक, पट्टा या एक ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच अन्य समझौते शामिल हैं।

ये लिखत बाजार सहभागियों को आसानी से एक पार्टी से दूसरे में ऋण दायित्वों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं।

इक्विटी शेयर: इन शेयरों के मालिक एक व्यापार उद्यम के साथ जुड़े अधिकतम उद्यमी जोखिमों को उठाते हैं। इक्विटी किसी परिसंपत्ति का वह मूल्य है, जो उस परिसंपत्ति पर सभी देनदारियों की राशि से कम होता है।

एक लेखांकन समीकरण के रूप में, इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है: परिसंपत्ति - देनदारियाँ = इक्विटी

अधिमानी शेयर: अधिमानी शेयर, जिन्हें समान्यता प्रेफरड स्टॉक (preferred stock) के नाम से अधिक संदर्भित किया जाता है, वह लाभांश के साथ कंपनी के स्टॉक के शेयर हैं, जिन्हें बांड पर ब्याज के जैसे एक निश्चित दर शेयर धारक को भुगतान किया जाता है।

यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो प्रेफरड स्टॉक के शेयरधारक कंपनी की संपत्ति से पहले भुगतान पाने के हकदार होते हैं।

व्युत्पन्न: यह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या संपत्तियों के समूह से व्युत्पन्न या उन पर निर्भर कोई वित्तीय सुरक्षा है, जिसका कुछ मूल्य होता है। व्युत्पन्न संपत्ति या संपत्तियों के आधार पर दो या अधिक पक्षों के बीच एक अनुबंध है।

सबसे आम अंतर्निहित संपत्ति में स्टॉक्स, बॉन्ड, रूपांतरण/कायांतरण, मुद्रा, ब्याज दर और बाजार सूचकांक शामिल हैं।

परक्राम्य लिखत (NI)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 (i) के अनुसार किसी परक्राम्य लिखत का अर्थ वचन-पत्र, विनिमय पत्र या चेक से होता है, जो उसमें शामिल होता है।

एक परक्राम्य लिखत की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं:

- (1) कोई आस्ति या सम्पत्ति (अर्थात् जो लिखत की विषय वस्तु है) अंतरणकर्ता से अंतरिती तक मात्र सुपुर्दगी और/या लिखत के परांकन (पत्र आदि के संदर्भ में) से होकर जाती है,
- (2) कोई अंतरिती जो अच्छे विश्वास और मूल्य के लिए (और जिसे अंतरणकर्ता की ओर से मैं किसी भी दोष का कोई नोटिस नहीं है) लिखत स्वीकार करता है, उसे अपरिहार्यता प्राप्त होती है और उसके नाम से लिखत पर कोई मुकदमा किया जा सकता है, तथा
- (3) लिखत के उत्तरदायी पक्ष को दी जाने वाली अंतरण आवश्यकतों का कोई नोटिस नहीं होता।

विनिमय पत्र - विनिमय पत्र एक बिना शर्त के आदेश युक्त निर्माता द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ लेखन में एक लिखत है, जो किसी निश्चित व्यक्ति को किसी अन्य निश्चित व्यक्ति को या लिखत के वाहक को या तो केवल उसे या आदेश से धन की एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट करता है। एक हुंडी किसी भारतीय भाषा में विनिमय पत्र है, जो सीमा शुल्क और स्थानीय उपयोग द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि, NI अधिनियम, हुंडी को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए विनिमय पत्र हुंडी को शामिल हो कर सकता है, लेकिन हुंडी विनिमय पत्र नहीं हो सकती है।

वचन पत्र - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 में एक वचन पत्र को लेखन में एक लिखत के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक बिना शर्त का उपक्रम है, जो निर्माता के हस्ताक्षर युक्त होता है, जिसे धन की एक निश्चित राशि का या तो किसी व्यक्ति के आदेश या लिखत के वाहक को भुगतान करना है। वह व्यक्ति, जो वचन पत्र बनाता है, वह भुगतान करने का वादा करता है और निर्माता कहलाता है। जिस व्यक्ति के लिए भुगतान मोड होना है, वह प्राप्तकर्ता कहलाता है।

चेक - एक चेक एक निर्दिष्ट बैंकर द्वारा तैयार किया गया विनिमय पत्र है। यह मांग होने पर देय होता है।

बैंक ड्राफ्ट- यह भुगतानकर्ता की ओर से एक भुगतान है, जिसकी जारीकर्ता बैंक द्वारा गारंटी ली जाती है। आम तौर पर, बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट निवेदक के खाते की समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं। एक बार यह पुष्टि कर दी जाये कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, तो बैंक ड्राफ्ट का उपयोग किए जाने पर संबन्धित बैंक व्यक्ति के खाते से धन को प्रभावी रूप से अलग कर देता है।

वाहक बॉन्ड - यह एक निश्चित-आय प्रतिभूति है, जो धारक (वाहक) के स्वामित्व में बल्कि एक पंजीकृत मालिक के स्वामित्व में होती है। ब्याज भुगतान के लिए कूपन, भौतिक रूप से प्रतिभूति से जुड़े होते हैं और यह बॉन्ड धारक की जिम्मेदारी है कि वह कूपन को भुगतान के लिए किसी बैंक में जमा करें और जब बॉन्ड परिपक्वता तिथि तक पहुंचने जाएँ, तो भौतिक प्रमाण पत्र का मोचन कर लें।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार

बॉन्ड

एक बांड एक ऋण लिखत है, जिसमें एक निवेशक किसी इकाई (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकार) को धन ऋण देता है, जो एक चर या अचर ब्याज कि दर पर एक निर्धारित अवधि के लिए धन उधार लेते हैं।

जी-सेक

केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक व्यापारिक लिखत, एक सरकारी सुरक्षा (G-Sec) है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। इस तरह की प्रतिभूतियां अल्पावधि (आमतौर पर इन्हें राजकोष/खजाना बिल कहा जाता है, इनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम की होती है) या दीर्घकालिक (आमतौर पर इन्हें सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है, इनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष या उससे अधिक की होती है) होती हैं।

भारत में, केंद्र सरकार राजकोष/खजाना बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती हैं, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है। जी-सेक में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं लेते हैं और इसलिए, इसे जोखिम मुक्त श्रेष्ठ प्रतिभूति लिखत कहा जाता है।

जी-सेक आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के ई-कुबेर नामक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी का आयोजन किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, प्राथमिक डीलरों, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ धन खाता (चालू खाता) और प्रतिभूति खाते (सहायक सामान्य लेज़र (SGL) खाता) का रखरखाव करते हैं, वह इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के सदस्य होते हैं।

बीमा कंपनियों की तरह संस्थागत निवेशकों के अलावा जी-सेक बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में वाणिज्यिक बैंक और पीडीएस (प्राथमिक सदस्यों के रूप में प्रसिद्ध -पीएमएस) शामिल हैं। पीडीएस जी-सेक बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य प्रतिभागियों में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, भविष्य और पेंशन फंड शामिल हैं।

मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड (IIBs)

IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति की ताकतों से बचाने के लिए तैयार किया गया हैं।

इन बॉन्डों के मूलधन और ब्याज भुगतान आमतौर पर डब्लूपीआई या सीपीआई जैसे मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़े होते हैं।

वर्ष 1997 में मुद्रास्फीति से जुड़े पूंजी सूचकांक बॉन्ड (CIBs) के नाम पर बॉन्ड पहले जारी किए गए थे। यह प्रदत्त सुरक्षा केवल मूलधन पर थी और ब्याज भुगतान के लिए नहीं नहीं थी।

वर्ष 1997 में, मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड के नाम से नए बॉन्ड (IIBs) जारी किए गए, जो मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत में वित्तीय संस्थाएं (FIs) और वित्तीय नियामक

वित्तीय संस्थान और वित्त नियामक वह कंपनियाँ हैं, जो मौद्रिक लेनदेन जैसे जमा, ऋण, निवेश और मुद्रा विनिमय से निपटने के कारोबार में हैं। FIs वित्तीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, ट्रस्ट कंपनियों, बीमा कंपनियों, और ब्रोकरेज फर्मों या निवेश डीलरों सहित के व्यापक रूप से कई व्यापार कार्यों को शामिल करती हैं।

1. आरबीआई - भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

यह अपनी मौद्रिक और ऋण नीतियों के माध्यम से देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने, विनियमित करने, मार्गदर्शन करने और पर्यवेक्षण करने के लिए सशक्त है।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने वाली समिति (CRAFICARD) की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई। बी. शिवरामन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) नाबार्ड द्वारा संचालित है।

अध्यक्ष: हर्ष कुमार भान वाला

मुख्यालय: मुंबई

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

आरआरबी की स्थापना सन 1975 में एक अध्यादेश द्वारा की गई है। बाद में आरआरबी अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

इसे एम नरसिंहा समिती की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था।

प्रथम आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 को हुई थी।

शेयरधारकों का योगदान:

- भारत सरकार - 50%
- प्रायोजक बैंक - 35%
- राज्य सरकार - 15%

4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

सिडबी का गठन 02 अप्रैल, 1990 में किया गया। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है।

अध्यक्ष-श्री मोहम्मद मुस्तफा

मुख्यालय-लखनऊ

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड खुद (SEBI)

सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार (निवेशक के हित की रक्षा के लिए) नियामक है। यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित किया गया था।

अध्यक्ष-अजय त्यागी

मुख्यालय-मुंबई

6. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (EXIM)

एक्जिम बैंक भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है।

इसे 1982 में भारत के विदेशी व्यापार के वित्तपोषण, सुविधा और संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था।

उद्देश्य- भारत में विदेशी व्यापार को वित्त-पोषित करना, सुगम बनाना और बढ़ावा देना। इसके अलावा निर्यात आयात व्यापार के वित्तपोषण में लगे संस्थानों के कार्य का समन्वय करना।

Headquarter- Mumbai

सीईओ-यदुवेन्द्र माथुर

प्रबंध निदेशक-डेविड रसकुईनहा

मुख्यालय-मुंबई

7. भारत का निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)

उद्देश्य - भारतीय उद्यमियों जोखिम प्रदान करने के साथ-साथ को बीमा कवर प्रदान करना।

यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण में है और पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके देश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1957 में स्थापित किया गया था।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक-गीता मुरलिधर

मुख्यालय-मुंबई

8. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

NHB आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व वाला गौण निकाय है।

NHB को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था।

यह आवास वित्त के लिए एक शीर्ष स्तरीय संस्था है।

MD & CEO- श्रीराम कल्याणरमन

मुख्यालय-नई दिल्ली

9. IRDAI- दी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) भारत में इंश्योरेंस और री-इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को विनियमित और बढ़ावा देने के साथ एक स्वायत्त, सांविधिक निकाय है।

यह भारत सरकार द्वारा पारित संसद के एक अधिनियम 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा गठित किया गया था।

मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश पर IRDAI ऐक्ट पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता आर एन मल्होत्रा ने की।

IRDAI भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्यों सहित एक 10 सदस्यीय निकाय है।

मुख्यालय-हैदराबाद, तेलंगाना

अध्यक्ष-सुभाष चंद्रा खुंटिया

10. PFRDA

भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त, 2003 को ओएसिस (ओल्ड एज सोशल & इनकम सिक्योरिटी) रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर अंतरिम पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना की गई।

PFRDA पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

PFRDA अटल पेंशन योजना (APY) को व्यवस्थापित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विनियमन और व्यवस्थापन कर रहा है, जो असंगठित क्षेत्र के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

मुख्यालय-नई दिल्ली

अध्यक्ष-हेमंत कौटरेक्टर

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

NBFC, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जो ऋण और अग्रिमों के व्यापार, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शेयरों/स्टॉक/बॉन्ड/ऋण पत्रों/प्रतिभूतियों या किसी समान प्रकृति की अन्य विपणन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, पट्टे, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट कारोबार से जुड़ी है।

कोई गैर-बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत एक बड़ी राशि में या किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करने का प्रमुख व्यवसाय है, तो यह भी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी) कहलाती है।

एनबीएफसी को वर्गीकृत किया जाता है a) एनबीएफसी स्वीकार करने वाले जमा और गैर-जमा में देयताओं के प्रकार के संदर्भ में, b) गैर-जमा जो एनबीएफसी को उनके आकार के आधार पर लेते हुए महत्व के अनुसार प्रणालीबद्ध करे और अन्य गैर-जमा होल्डिंग कंपनियां (NBFC-NDSI और NBFC-ND) और c) उनके द्वारा की गई गतिविधियों वे आचरण के अनुसार। इस व्यापक वर्गीकरण के अनुसार एनबीएफसी के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं:

I. एसेट फ़ाइनेंस कंपनी (AFC): एएफसी एक ऐसी वित्तीय संस्था है, जिसका प्रमुख व्यवसाय ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, खराद मशीन, जनरेटर सेट, धरती खुदाई और सामग्री हैंडलिंग उपकरण, स्वयं ऊर्जा गतिमान और सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मशीनों जैसे उत्पादों /आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने वाली भौतिक संपत्तियों का वित्तपोषण करना है।

II. इनवेस्टमेंट कंपनी (IC): आईसी एक वित्तीय संस्थान है; जिसका प्रमुख व्यवसाय प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना है।

III. लोन कंपनी (LC): LC एक वित्तीय संस्थान है, जो या तो ऋण या अग्रिम के माध्यम से या फिर स्वयं के अलावा किसी भी गतिविधि को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में वित्त प्रदान करती है, लेकिन जो एक एसेट फ़ाइनेंस कंपनी के रूप में शामिल नहीं होती है।

IV. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC): IFC एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, ए) जो आधारभूत संरचना ऋण में अपनी कुल संपत्ति का कम से 75 प्रतिशत नियोजित करती है, b) जिसके पास ₹ 300 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि है, c) जिसकी न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'A' या समकक्ष हो d) और जिसके पास 15% का CRAR (capital to risk weighted assets ratio) होता है।

V. सिस्टेमैटीकली इंपोर्टेंट कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI): सीआईसी-एनडी-एसआई एक NBFC है, जो शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के व्यापार पर होती है।

VI. इन्फ्रास्ट्रक्चर डैब्ट फंड NBFC (IDF-NBFC): IDF-NBFC, NBFC के रूप में पंजीकृत एक कंपनी है, जो आधारभूत संरचना परियोजनाओं में दीर्घकालिक ऋण के प्रवाह की सुविधा देती है। IDF-NBFC न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता के बांड के साथ रुपये या डॉलर के मूल्यवर्ग के माध्यम से संसाधन जुटाती है। केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ (आईएफसी), IDF-NBFC को प्रायोजित कर सकती हैं।

VII. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्था (NBFC: MFI): NBFC: MFI एक प्रकार के गैर जमा लेने वाले NBFC होते हैं, विशेषक संपत्ति (qualifying assets) में जिनकी संपत्तियों का 85% से कम नहीं होता है।

VIII. नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनी - फैक्टर (NBFC-Factor): NBFC-Factor एक गैर जमा लेने वाले NBFC हैं, जो प्रमुख रूप से फैक्टरिंग के व्यवसाय में होते हैं। फैक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय आस्तियों का गठन उसकी कुल आस्तियों का कम से 50 प्रतिशत होना चाहिए और फैक्टरिंग व्यवसाय से प्राप्त उसकी आय उसकी सकल आय के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

IX. बंधक गारंटी कंपनियाँ (MGC)- MGC वो वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनके लिए व्यापार कारोबार का कम से 90% बंधक गारंटी व्यवसाय है या सकल आय का कम से कम 90% बंधक गारंटी व्यवसाय से है और निवल स्वामित्व निधि ₹100 करोड़ है।

X. NBFC-नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) वह वित्तीय संस्थान है, जिसके माध्यम से एक नया बैंक स्थापित करने के लिए प्रमोटर/प्रमोटरों के समूहों को अनुमति दी जाएगी। यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली नॉन-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) है, जो बैंक के साथ-साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा विनियमित अन्य सभी वित्तीय सेवा कंपनियों को लागू विनियामक के तहत अनुमत सीमा तक आयोजित करेगी।

बैंकों की रेटिंग

क्रेडिट रेटिंग वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी है, जो क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है, जो एक ऋणी के समय पर ब्याज भुगतान द्वारा ऋण के वापसी भुगतान की योग्यता और डिफॉल्ट की संभावना को रेटिंग देती है। एक एजेंसी ऋण दायित्वों, ऋण के लिखतों और कुछ मामलों में अंतर्निहित ऋण की सेवा लेने वालों के जारीकर्ता की साख की रेटिंग कर सकती है, लेकिन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की नहीं।

CRISIL (क्रिसिल)

क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड, Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL) भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।

क्रिसिल के बहुसंख्यक शेयरधारक स्टैंडर्ड एंड पूर्स हैं, जो मैक्ग्रा हिल फ़ाइनेंसियल का एक निकाय है और फ़ाइनेंसियल मार्केट इंटेलिजेंस के प्रदाता हैं।

इसकी स्थापना 1987 में हुई थी।

मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र

क्रिसिल, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, राज्य सरकार जैसी बड़ी पैमाने पीआर संस्थाओं की रेटिंग करता है।

CIBIL (सिबिल)

Credit Information Bureau of India Limited (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड)

सिबिल ऋण और क्रेडिट कार्ड से संबंधित व्यक्तिगत भुगतानों की रिपोर्ट का संग्रह करता है और उनका रखरखाव करता है।

यह एजेंसी वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी और पहली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी थी।

यह बैंकों और ऋण संस्थाओं को रिपोर्ट जमा करती है और उसका रखरखाव करती है ।

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR) बनाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है ।

मुख्यालय-मुंबई

ICRA (आईसीआरए)

इनवेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) एक भारतीय स्वतंत्र और व्यावसायिक निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी की निवेशक सेवा ICRA की सबसे बड़ी शेयरधारक है।

मुख्यालय-गुरुग्राम, हरियाणा

ICRA के प्रबंध निदेशक और CEO - श्री नरेश ठक्कर

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

फिच रेटिंग इंक (Fitch Ratings Inc.) "तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों" में से एक है और तीन राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग संगठनों (NRSRO) में से एक है, जो 1975 में अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा निर्दिष्ट है।

यह फर्म जॉन नोल्स फिच द्वारा 24 दिसंबर, 1914 को न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था।

फिच रेटिंग की लंबी अवधि की क्रेडिट रेटिंग 'AAA' से 'D' तक एक वर्णमाला पैमाने निदेशित की जाती है।

उदाहरणार्थ, AAA: सबसे अच्छी गुणवत्ता की कंपनियां, विश्वसनीय और स्थिर, AA: गुणवत्ता कंपनियां, AAA से थोड़े अधिक जोखिम वाली, A: आर्थिक स्थिति, वित्त को प्रभावित कर सकती है।

मुख्यालय- न्यूयार्क सिटी, न्यूयॉर्क, यू. एस और लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन

अध्यक्ष तथा सीईओ - पॉल टेलर

मूडी इन्वैस्टर सर्विसेस

मूडी कोरपोरेशन के बांड क्रेडिट रेटिंग व्यापार का नाम मूडी है।

मूडी की निवेशक सेवा वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी बांड पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान प्रदान करता है।

स्टैंडर्ड एंड पूअर तथा फिच ग्रुप के साथ साथ मूडी भी तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक माना जाता है।

मूडी की स्थापना 1909 में जॉन मूडी द्वारा स्टॉक और बॉन्ड तथा बॉन्ड रेटिंग से संबंधित आंकड़ों के मैनुअल का उत्पादन करने की लिए की गयी थी।

मुख्यालय - न्यूयार्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका

अध्यक्ष और सीईओ- हेनरी मककीन्नेल्ल

President and CEO- Douglas L. Peterson

स्टैंडर्ड एंड पूअर फ़ाइनेंशियल सर्विसेस (S&P)

S&P एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी है।

यह S&P ग्लोबल का एक प्रभाग है, जो वित्तीय अनुसंधान और शेयरों, बॉन्डों और रूपांतरण/कायांतरण पर विश्लेषण प्रकाशित करता है।

S&P अपने शेयर बाजार सूचकांक के लिए जाना जाता है, जैसे US आधारित S&P 500, कनाडियन S&P/TSX, और ऑस्ट्रेलियाई S&P/ASX 200

मुख्यालय- न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रेसिडेंट और सीईओ - डगलस एल पीटरसन

भारत में विदेशी निवेश

भारत के बाहर से होने वाली फंडिंग के साधन के साथ भारत में किया जाने वाला कोई भी निवेश विदेशी निवेश होता है। इसलिए, विदेशी कॉर्पोरेटों, विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश विदेशी निवेश की श्रेणी में आते हैं।

विदेशी निवेश के प्रकार

विदेशी देशों से निधियों को शेयरों, संपत्तियों, स्वामित्व/प्रबंधन या सहयोग में निवेश किया जा सकता है। इस के आधार पर, विदेशी निवेश को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
- विदेशी संस्थागत निवेश (FII)

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)

एफडीआई किसी भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत लिखतों के माध्यम से निवेश है।

(a) एक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में; या

(b) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूर्ण रूप से हिस्सेदारी के आधार पर पोस्ट इश्यू पेड-अप इक्विटी कैपिटल में 10% या उससे अधिक में।

यदि किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत लिखतों में किसी भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा मौजूदा निवेश पूर्ण रूप से हिस्सेदारी के आधार पर पोस्ट इश्यू पेड-अप इक्विटी कैपिटल में 10% से नीचे के स्तर तक है, तो निवेश को एफडीआई के रूप में माना जाएगा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

एफपीआई में विदेशी निवेशकों द्वारा धारित प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह निवेशकों को वित्तीय आस्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं प्रदान करता है और यह अपेक्षाकृत बाजार की अस्थिरता के आधार पर अर्थसुलभ / तरल निवेश है। एफपीआई, एफडीआई से अलग है, जिसमें एक घरेलू कंपनी विदेशी फर्म चलाती है, हालांकि एफडीआई भी किसी कंपनी को विदेश में धारित फर्म पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है, लेकिन भविष्य में उसे प्रीमियम मूल्य पर फर्म को बेचने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

विदेशी संस्थागत निवेश (FII)

एफआईआई वह संस्थागत निवेशक हैं, जो जिन देशों में स्थित हैं, वहाँ के संगठनों को छोड़कर, किसी भिन्न देश से संबंधित संपत्तियों में निवेश करते हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशक बड़ी कंपनियां हैं, जैसे-इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड आदि, जो भारतीय बाजारों में काफी मात्रा में पैसा निवेश करते हैं।

ये सेबी के साथ पंजीकृत होते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) और व्यापारिक उधार

ईसीबी, बैंक ऋण, प्रतिभूतिकृत लिखतों, क्रेता की साख पर उधार, आपूर्तिकर्ता उधार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCBs), वित्तीय पट्टा और विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉन्ड (FCEBs) के रूप में वाणिज्यिक ऋण को संदर्भित करता है। ईसीबी की परिपक्वता अवधि लिए गए ईसीबी के प्रकार पर निर्भर करती है।

व्यापारिक उधार (TC) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पांच वर्ष तक की परिपक्वता के लिए सीधे आयात के लिए विस्तारित क्रेडिट को संदर्भित करता है। वित्त के स्रोत के आधार पर, इस तरह के व्यापारिक उधार में क्रेता की साख पर उधार या आपूर्तिकर्ता उधार शामिल हैं।

‘आपूर्तिकर्ता उधार’ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विस्तारित भारत में आयात के लिए ऋण से संबंधित है, जबकि ‘क्रेता की साख पर उधार’ भारत के बाहर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से भारत में आयात के भुगतान के लिए आयातक द्वारा लिए गए ऋण को दर्शाता है।

रुपया डोमिनटेड बॉन्ड (Rupee Denominated Bonds)

एक रुपया डोमिनटेड बॉन्ड विदेशी बाजारों में एक भारतीय इकाई द्वारा जारी किया गया बॉन्ड है और ब्याज भुगतान और मूलधन प्रतिपूर्ति रुपये में विनामांकित (व्यक्त) की जाती है।

रुपया डोमिनटेड बॉन्ड की खासियत यह है कि बॉन्ड की खरीद, ब्याज भुगतान और चुकौती सभी रुपए में किए जाते हैं।

सभी भुगतान, भुगतान के समय के अनुसार उसके संबन्धित डॉलर के मूल्यों में बदल जाते हैं।

रुपया डोमिनटेड बॉन्ड का वर्णन करने के लिए 'मसाला बॉन्ड' शब्द का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि रुपया डोमिनटेड बॉन्ड के पहले जारीकर्ता ने अपने लिए मसाला बॉन्ड नाम का इस्तेमाल किया था।

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)- जो विश्व बैंक से सहबद्ध है, वह 'मसाला बॉन्ड' के नाम के साथ रुपया डोमिनटेड बॉन्ड का पहला प्रमुख प्रदाता है। बाद में, सितंबर 2015 में, आरबीआई ने रुपया डोमिनटेड बॉन्ड के निर्गम के लिए विस्तृत विनियामक दिशानिर्देश जारी किए।

धन-प्रेषण / विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) और रुपया आहरण व्यवस्था (RDA))

धन-प्रेषण / विप्रेषण परिवारिक और राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह बाहरी वित्तपोषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक भी है।

भारत में हिताधिकारी बैंकिंग और डाक चैनलों के माध्यम से सीमा पार से आवक धन-प्रेषण / विप्रेषण प्राप्त कर सकते हैं।

आवक धन-प्रेषण / विप्रेषण प्राप्त करने के यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन के अंतराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली (IFS) प्लेटफॉर्म के अलावा (जो पोस्टल चैनल के लिए उपयोग किया जाता है) दो चैनल हैं और वे हैं - रुपया आहरण व्यवस्था (RDA) और धन अंतरण सेवा योजना (MTSS), जो सबसे आम व्यवस्थाएं हैं, जिनके तहत देश में विप्रेषण प्राप्त होते हैं।

RDA विदेशी क्षेत्राधिकारों से सीमा पार धन-प्रेषण / विप्रेषण प्राप्त करने के लिए एक चैनल है।

इस व्यवस्था के तहत, प्राधिकृत श्रेणी I बैंकों को अपने वोस्ट्रो (Vostro) खाते को खोलने और बनाए रखने के लिए एफएटीएफ अनुरूप देशों में अनिवासी विनिमय गृहों के साथ गठबंधन में प्रवेश करना होता है।

प्रेषण राशि के साथ-साथ प्रेषण की संख्या पर भी कोई सीमा नहीं है। हालांकि व्यापार संबंधी लेन-देन के लिए 15.00 लाख रुपये की ऊपरी सीमा है।

धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) भारत में लाभार्थियों के लिए विदेशों से व्यक्तिगत प्रेषण के हस्तांतरण का एक तरीका है।

भारत में केवल आवक निजी प्रेषण, जैसे कि परिवार के लिए और भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए प्रेषण हेतु केवल व्यक्तिगत धन-प्रेषण / विप्रेषण की अनुमति है।

इस योजना के तहत विदेश में प्रतिष्ठित धन अंतरण कंपनियाँ जिन्हें विदेशी प्रिंसिपलों (Overseas Principals) और भारत में एजेंटों जिन्हें भारतीय एजेंटों के रूप में जाना जाता है, उनके बीच एक गठबंधन होता है, जो भारत में चल रही विनिमय दरों पर लाभार्थियों को धन का वितरण करते हैं।

उदारीकृत प्रेषण योजना

LRS के तहत, सभी निवासी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चालू या पूंजी खाते के एक अनुमत सेट के लेनदेन से \$250000 तक विदेश में प्रति वित्तीय वर्ष प्रेषण कर सकते हैं।

विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों के रखरखाव, उपहार देने और दान के अलावा विदेशी शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा उपचार और शेयरों और संपत्ति की खरीद के लिए विप्रेषणों की अनुमति है।

व्यक्तिगत लेन-देन के लिए भी विदेशी बैंकों के साथ विदेश मुद्रा में खाते खोले जा सकते हैं और उनका रख-रखाव किया जा सकता है।

हालांकि, नियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजारों, मार्जिन या मार्जिन पर व्यापार के लिए विदेशी बाजारों और समकक्षों को कॉल और विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्डों की खरीद के लिए प्रेषण की अनुमति नहीं है।

हाल ही में वर्ष 2018 में आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, निगरानी में सुधार करने के लिए और LRS सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को गठित किया गया है। यह LRS के तहत व्यक्तियों द्वारा AD बैंकों के लिए किए गए लेन-देनों द्वारा एक दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली गठित करने का फैसला लिया गया है, जो सभी अन्य AD बैंकों के लिए सुलभ होगा।

भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना

एनईएफटी योजना के अंतर्गत सक्षम भारत से नेपाल में धन अंतरण करने के लिए सीमा पार से विप्रेषण योजना है।

भारत में प्रवासी नेपाली कामगारों को सुरक्षित और कम लागत के कुशल अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी ताकि नेपाल में उनके परिवारों को वापस पैसा दिया जा सके।

एक प्रेषक भारत में एनईएफटी सक्षम शाखाओं में से किसी से भी 50000 भारतीय रुपए (अधिकतम अनुमत राशि) तक निधि अंतरण कर सकता है।

लाभार्थी को नेपाली रुपए में धन मिलेगा।

त्वरित सुधारात्मक क्रिया (PCA)

वह प्रक्रिया या तंत्र जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल्यांकन करने, मॉनीटर करने, नियंत्रण करने और कमज़ोर और संकटग्रस्त बैंकों पर सुधारात्मक कार्रवाइयां करने के लिए कुछ ट्रिगर बिन्दु निर्धारित किए गए हैं, उसे त्वरित सुधारात्मक क्रिया या पीसीए के रूप में जाना जाता है।

अगर पीसीए ट्रिगर बैंकों को महँगी जमा को देखने/एक्ससैस और नवीनीकरण करने या उनकी शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की अनुमति नहीं है, तो बैंकों को भी एनपीए का स्टॉक कम करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करना होगा और इसमें नए एनपीए का उत्पादन करना होगा।

उन्हें कारोबार की नई लाइनों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (NIBM)

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन 1969 में यह संस्थान बैंकिंग प्रणाली के 'थिंक-टैंक' की सक्रिय भूमिका निभाने की अनिवार्यता के साथ, भारत सरकार के परामर्श से, एक स्वायत्त शीर्षस्थ संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह संस्थान पुणे में स्थित है।
- एनआईबीएम भारत में बैंकिंग उद्योग को एक नई दिशा देने और उद्योग को राष्ट्रीय विकास के लिए अधिक लागत प्रभावी लिखत बनाने की वृहत दृष्टि का हिस्सा है।
- उनकी भूमिका अपने शीर्ष प्रबंधन के लिए प्रासंगिक ज्ञान और कौशल का निरंतर उनयन करने के लिए बैंकिंग उद्योग का मुख्य अनुसंधान और अकादमिक निकाय होना है।

दृष्टिबंधक

- यह शब्द नागरिक कानून से लिया गया है; हालांकि इसके उपयोग क्षेत्राधिकार से क्षेत्राधिकार के लिए बदलते हैं, यह लगभग एक धारणाधिकार या बंधक का पर्याय है।
- दृष्टिबंधक कानूनी शब्द है, जो एक उधारकर्ता द्वारा एक ऋणदाता को दृष्टिबंधन के अनुदान को संदर्भित करता है।
- साधारणतया, उधारकर्ता एक ऋण के संपार्श्विक के रूप में एक परिसंपत्ति को गिरवी रखता है, जबकि संपत्ति का स्वामित्व उसी के पास रहता है और को बनाए रखने और वह उसका लाभ उठा सकता है।

गिरवी

- गिरवी का प्रयोग तब किया जाता है, जब ऋणदाता (गिरवीदार) आस्तियों पर वास्तविक अधिकार (अर्थात् प्रमाण-पत्र, सामान) ले लेता है।
- इस तरह की प्रतिभूतियां या सामान चल प्रतिभूतियां होती हैं।
- इस मामले में सामान पर तब तक गिरवीदार का कब्जा बरकरार रहता है, जब तक कि गिरवीकर्ता (अर्थात् उधारकर्ता) ऋण कि पूरी राशि चुकाता नहीं है।
- यदि उधारकर्ता दोषी पाया जाता है, तो गिरवीदार को अपने कब्जेके सामान को बेचने और देय राशि (अर्थात् मूलधन और ब्याज राशि) के लिए अपनी आय को समायोजित करने का अधिकार है।
- गिरवी के कुछ उदाहरण स्वर्ण/आभूषण ऋण, सामान/स्टॉक के खिलाफ अग्रिम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के खिलाफ अग्रिम आदि हैं।

बंधक

- यह उस अचल संपत्ति के विरुद्ध प्रभार लगाने के लिए बनाया जाता है, जिसमें धरती, इमारतें या पृथ्वी से जुड़ी हुई कुछ भी या पृथ्वी से संबन्धित किसी अचल संपत्ति से स्थाई रूप से जकड़ा हुआ कुछ भी शामिल है (हालांकि, इसमें बढ़ती हुई फसलें या घास को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें आसानी से पृथ्वी से अलग किया जा सकता है।
- बंधक बनाए जाने का सबसे अच्छा उदाहरण है, जब कोई घर बनाया जाता है, जब कोई आवास ऋण लेता है।
- इस मामले में घर बैंक/फाइनांसर के पक्ष में गिरवी होता है, लेकिन उधारकर्ता के कब्जे में रहता है, जिसे वह खुद के लिए उपयोग कर सकता है या किराए पर दे सकता है।

भारतीय डिपॉजिटरी रसीद (IDRs)

- IDR वित्तीय लिखत है, जो विभिन्न कंपनियों को विदेशी इक्विटी के लिए पात्रता और भारतीय शेयर बाजारों में जगह पाने के द्वारा भारतीय बाजारों से धन जुटाने की अनुमति देता है।
- IDR किसी घरेलू डिपॉजिटरी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रतिभूतियों के संरक्षक) द्वारा भारतीय रुपये के मूल्यवर्ग में बनाई गई एक डिपॉजिटरी रसीद है, जो विदेशी कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार से धन जुटाने के लिए सक्षम करने हेतु जारी करने वाली कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी के विरुद्ध होती है।
- IDR जारी करने वाली कंपनी के पास एक प्री-इश्यू पैड-अप कैपिटल और कम से कम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्बंध आरक्षित निधियां होनी चाहिए और तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का औसत टर्नओवर होना चाहिए।
- कोई IDR भारत में किसी घरेलू डिपॉजिटरी द्वारा जारी किए गए भारतीय रुपये के मूल्यवर्ग में एक डिपॉजिटरी रसीद है।
- चूंकि विदेशी कंपनियों को भारतीय इक्विटी बाजारों की सूची में आने की अनुमति नहीं है, IDR एक तरह से उन कंपनियों के लिए शेयर खरीदने का एक रास्ता है। ये IDRs भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं।
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी (Standard Chartered Plc) एक IDR मुद्दे के साथ कदम रखने वाली पहली फर्म है, जो IDRs के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय शेयरों की पेशकश करती है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (PSLC)

- PSLCs बैंकों के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के खिलाफ जारी किए गए व्यापार योग्य प्रमाण पत्र हैं ताकि बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के लिए अपने निर्दिष्ट लक्ष्य और उप-लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके।
- PSLCs का उद्देश्य है कि, बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्य को पार करने के कुछ प्रीमियम कमा सके। PSLCs को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण बढ़ाने के लिए पेश किया गया है।
- PSLCs योजना को सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधार हेतु - 'सौ छोटे कदम' (Financial Sector Reforms - 'A Hundred Small Steps') पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉ रघु राम राजन के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट में सुझाया गया था।
- PSLCs के चार प्रकार हैं-कृषि, लघु एवं सीमांत कृषक, लघु उद्यम तथा सामान्य.

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)

- एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतानों के लिए एक छत की तरह है। इसे आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के मार्गदर्शन और समर्थन से स्थापित किया गया था।
- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के प्रावधानों के अंतर्गत इसे “नोट फॉर प्रॉफिट (not for प्रॉफिट)” कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में पूरी बैंकिंग प्रणाली को भौतिक के रूप तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली को आधारभूत सुविधायें प्रदान करना है।
- इसके दस कोर प्रवर्तक बैंक हैं - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक एन. ए. और एचएसबीसी
- अध्यक्ष: श्री बिस्वामोहन महापात्र
- मुख्यालय: मुंबई

राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन सभा (NACH)

- एनपीसीआई ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकार के लिए NACH लागू किया है, जो अंतरबैंक, उच्च मात्रा, दोहराये जाने वाले और आवधिक प्रकृति के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वेब आधारित समाधान है।
- NACH एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसे देश भर में चल रहे कई ईसीएस प्रणालियों को समेकित करने और मानकता तथा पद्धतियों की अनुरूपता के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए और स्थानीय अवरोधों को हटाने के लिए शुरू किया था।
- NACH प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए थोक लेनदेन करने के लिए और टेलीफोन, बिजली, पानी, ऋण, म्युचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि में किए गए निवेश से संबंधित भुगतान की वसूली हेतु थोक लेनदेन के लिए किया जा सकता है।

आधार मैपर की क्वेरी सेवा (QSAM)

एनपीसीआई ने QSAM की शुरुआत की है, जो एक यूएसएसडी आधारित सेवा है, जो उपयोगकर्ता को उनके आधार सीडिंग की स्थिति की जानकारी देता है।

क्योंकि यह सेवा यूएसएसडी पर काम करती है, इसलिए यह सभी हैंडसेटों पर उपलब्ध है और उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक है।

QSAM में यूजर्स अपने हैंडसेट से *99*99# डायल कर सकते हैं और अपना आधार नंबर लगाकर आधार सीडिंग स्टेटस जान सकते हैं।

मोबाइल मनी पहचानकर्ता (MMID)

एमएमआईडी किसी बैंक ग्राहक को दी गई 7 अंकों की एक संख्या है। एमएमआईडी कोड के पहले चार अंक आपको आईएमपीएस प्रदान करने वाले बैंक की अद्वितीय पहचान संख्या के रूप में कार्य करते हैं।

उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर का एमएमआईडी विशिष्ट रूप से उनके बैंक खाता संख्या के साथ जुड़ा हुआ होता है और निधि अंतरण की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियों (key inputs) में से एक है।

प्रत्येक बैंक खाते का केवल एक एमएमआईडी होता है। भिन्न-भिन्न एमएमआईडी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े जा सकते हैं।

एशियाई समाशोधन संघ (ACU)

एशिया और प्रशांत की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ESCAP) की पहल पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एसीयू की स्थापना 9 दिसंबर 1974 को की गई। इसका मुख्यालय तेहरान, ईरान में है।

समाशोधन संघ का मुख्य उद्देश्य एक बहुपक्षीय आधार पर पात्र लेनदेन के लिए सदस्य देशों के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करना है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडारण और अंतरण लागतों के उपयोग पर किफायती अर्थव्यवस्था स्थापित की जाये तथा साथ ही साथ भाग लेने वाले देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिल सके।

सदस्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंकों और मौद्रिक अधिकारी

अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा (USSD)

USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस, Unstructured Supplementary Service Data को संदर्भित करता है। यह एक तकनीक है, जो जीएसएम नेटवर्क चैनलों के माध्यम से जानकारी पहुंचाता है -इन चैनलों को आम तौर पर आपके फोन के माध्यम से वॉइस कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

USSD आधारित संचार का उपयोग खाते की शेष राशि की जांच करने, मिनी स्टेटमेंट जनरेट करने, एमएमआईडी (मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण पर बैंकों द्वारा आवंटित कोड), आईएफएससी कोड या आधार संख्या के जरिए निधि अंतरण करने के लिए किया जा सकता है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सेवाओं का उपयोग करने का शुल्क देना होगा।

* 99 # बैंकिंग के लिए लेनदेन की सीमा आरबीआई द्वारा प्रति लेनदेन ₹5000 निर्धारित की गई है।

भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007

PSS अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए है और आरबीआई को इस उद्देश्य और सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों (BPSS) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए इसके केंद्रीय बोर्ड के रूप में जाने जाने वाली एक समिति का गठन करने के लिए प्राधिकृत है, ताकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करे और इसके कार्यों का निष्पादन करे और इस कानून के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।

PSS अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए BPSS, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शक्तियों का अभ्यास करता है। बाद में किसी भुगतान प्रणाली को शुरू करने के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र के फार्म और प्राधिकरण के अनुदान के जैसे मामलों को देखा जाता है।

भारत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तत्काल सकल निपटान (RTGS) प्रणाली के अलावा अन्य सभी भुगतान प्रणालियां एक शुद्ध निपटान के आधार पर कार्य करते हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)

BBPS एक एकीकृत ऑनलाइन मंच है जिसे सभी प्रकार के बिल भुगतान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है।

यह मंच एजेंटों के एक नेटवर्क के माध्यम से एक प्रचलित सेवा का निर्माण करना चाहता है, जो भुगतान के कई मोड चालू करने की कोशिश में है, जिनमें भुगतान प्राप्ति की रसीद उसी समय बना दी जाएगी।

यह एक छोर उपयोगिता सेवा कंपनियों को जोड़ेगा और अन्य छोर पर सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को जोड़ेगा।

लाभ: किसी बिल का कहीं भी किसी भी समय भुगतान किया जा सकता है।

देश भर में बिल भुगतान के लिए रिटेल पॉइंट्स होंगे जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग (IMPS, NEFT) के माध्यम से किए गए सभी प्रकार के बिलों के भुगतान को स्वीकार करने में सक्षम होंगे।

इसके साथ साथ, BBPS मंच में धोखाधड़ी की निगरानी और जोखिम शमन प्रणालियों की व्यवस्था होगी ताकि सुचारु ऑनलाइन लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)

आईएमपीएस मोबाइल फोन के माध्यम से एक तत्काल अंतरबैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा है। इसे अन्य चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से भी काम में लिया जा सकता है।

आईएमपीएस एक तत्काल समय भुगतान सेवा है, जिसका कोई भी छुट्टियों सहित किसी भी दिन उपयोग कर सकता है।

यह सेवा एनपीसीआई द्वारा पेश की जाती है, जो ग्राहकों को देश भर में बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत (PPIs) जारीकर्ता के माध्यम से तुरंत धन हस्तांतरित करने का विकल्प प्रदान करती है।

PPIs ऐसे भुगतान के साधन हैं, जो इन साधनों में संग्रहित मूल्य के बदले में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सहित वित्तीय सेवाओं, विप्रेषण सुविधाओं आदि की सुविधा देते हैं।

बैंक-रहित ग्राहक भी PPIs की सेवाओं का उपयोग करके आईएमपीएस के माध्यम से धन अंतरण कर सकते हैं। आईएमपीएस के अंतर्गत अंतरण की सीमा की निर्धारण के लिए प्रत्येक बैंक की अपनी नीति होती है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

यूपीआई एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन का उपयोग करके किन्हीं भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देती है।

यूपीआई क्रेडिट कार्ड के विवरण, आईएफएससी कोड, या नेट बैंकिंग / वॉलेट पासवर्ड टाइप करने की परेशानी के बिना, किसी ग्राहक को सीधे बैंक खाते से अलग-अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भुगतान करने की अनुमति देता है।

यूपीआई के माध्यम से किए जा सकने वाले लेनदेन - मर्चेन्ट भुगतान, प्रेषण, दूसरों को बिल भुगतान प्रति लेनदेन की सीमा 1 लाख है।

भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM)

भीम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) का यूपीआई पर आधारित एक डिजिटल भुगतान समाधान ऐप है, जो भारत में सभी राष्ट्रीय खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक छतरी की तरह काम करता है।

इसका उपयोग बैंक खाते से साइन अप करके यूपीआई-आधारित भुगतान के लिए डिजिटल लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है, जो मोबाइल फोन नंबर से भी जुड़ा हुआ है।

भीम में आईएफएससी और एमएमआईडी के माध्यम से गैर-यूपीआई बैंकों के लिए स्थानांतरित करने के विकल्प भी हैं।

बीएचआईएम अधिकतम 10,000 रुपये प्रति लेनदेन और 24 घंटे के भीतर 20,000 रुपये तक स्वीकार करता है।

Stay tuned for more such resources on our blog:

<https://www.blog.oliveboard.in>

Click on any of the below given exams to take a FREE mock test:

Banking

[SBI PO](#) | [IBPS PO](#) | [RBI GRADE B](#) | [IBPS CLERK](#) | [IBPS SO](#) | [NABARD](#) | [SBI CLERK](#) | [SIDBI](#)
[RBI ASSISTANT](#) | [IPPB OFFICER](#) | [IBPS RRB OFFICER](#) | [IBPS RRB ASSISTANT](#) | [LAKSHMI VILAS BANK](#)
[DENA BANK PO](#) | [BOB MANIPAL](#) | [BOM MANIPAL](#) | [SYNDICATE BANK PO](#) | [IDBI BANK PO](#)

MBA

[CAT](#) | [CMAT](#) | [XAT](#) | [MHCET](#) | [NMAT](#) | [SNAP](#) | [IIFT](#)

Government and Insurance

[UPSC](#) | [SSC CGL](#) | [LIC AAO](#) | [UIIC AO](#) | [RAILWAYS RRB](#) | [LIC HFL](#) | [UIIC Assistant](#) | [NICL Assistant](#)
[OICL AO](#) | [NICL AO](#) | [NIACL AO](#) | [IRDAI](#) | [IB ACIO](#) | [NIACL Assistant](#)

About Oliveboard:

Oliveboard is a leading preparation portal for MBA, Banking and Government exams. We provide free mock tests, comprehensive study material that includes lessons & video lectures, and various other features such as analytics, group study and study planner. Ace your exams by preparing on PC or Mobile with study synchronized across devices.

Download our [Android App](#)

